

Notified on 22/08/2025

भोपाल, दिनांक-12 / 08 / 2025

क्रमांक-1644 / मप्रविनिआ / 2025-विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 14, 15, 16, 17, 18 तथा 19 सहपठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, राज्यान्तरिक पारेषण अनुज्ञप्ति (Intra State Transmission Licence) की प्राप्ति हेतु राज्यान्तरिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन, कर्तव्यों और निबंधन तथा शर्तों एवं राज्यान्तरिक पारेषण अनुज्ञप्ति हेतु अनुसरण की जाने संबंधी प्रक्रिया के बारे में योग्यता मानदण्ड निर्दिष्ट किये जाने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {राज्यान्तरिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें तथा पारेषण अनुज्ञप्ति (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित करते हुए) संबंधी अन्य मामले} (पुनरीक्षण-प्रथम) विनियम, 2025 {आरजी-11(I), वर्ष 2025}

अध्याय -1 : प्रारंभिक (Preliminary)

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ (Short Title and Commencement):

- 1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {राज्यान्तरिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें तथा पारेषण अनुज्ञप्ति (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित करते हुए) संबंधी अन्य मामले} (पुनरीक्षण-प्रथम) विनियम, 2025 {आरजी-11(I), वर्ष 2025} कहलाएंगे।
- 1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में क्रियाशील पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों (समझे गये अनुज्ञप्तिधारियों को सम्मिलित करते हुए) को प्रयोज्य होंगे।
- 1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएं (Definitions) :

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, प्रयोग में लाये गये शब्दों, शब्दावलियों एवं अभिव्यक्तियों, यदि इन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ वही होगा जैसा कि अधिनियम में इनके लिये निर्दिष्ट हैं :

- क) "अधिनियम (Act)" से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);
- ख) "अनुबन्ध (Agreement)" से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है कोई

अनुबन्ध या करार (agreement), संविदा (contract), समझौता ज्ञापन (memorandum of understanding) या फिर अन्य कोई प्रतिज्ञापत्र/ प्रसंविदा (convenient) जिनका संबंध विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण (Intra-State transmission of electricity) से संबंधित किसी भी पहलू से है जिसका निष्पादन अनुज्ञप्तिधारी तथा यथास्थिति दीर्घ-अवधि पारेषण ग्राहक(ों) या पारेषण उपयोगिता (State Transmission Utility) के मध्य किया जाता है ;

- ग) **“वार्षिक लेखे (Annual Accounts)”** से अभिप्रेत है समय-समय पर यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18, वर्ष 2013) के उपबन्धों के अनुसार और/या ऐसी अन्य रीति में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (Transmission Licensee) द्वारा तैयार किये गये लेखे जैसा कि अधिनियम या मध्यप्रदेश अधिनियम (MP Act) के संबंध में आयोग द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए ;
- घ) **“आवेदक (Applicant)”** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसके द्वारा विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण (Inter-State transmission of electricity) हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन या याचिका प्रस्तुत की गई है ;
- ङ) **आवेदन (Application)”** से अभिप्रेत है, विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण हेतु यथास्थिति अनुज्ञप्ति प्रदान करने या संशोधन या नवीनीकरण या प्रतिसंहरण /निरसन (revocation) करने हेतु प्रस्तुत आवेदन/याचिका तथा इसमें ऐसे आवेदन से संबंधित अनुलग्नक (annexures) संलग्नक, (enclosures) सम्मिलित हैं ;
- च) **“पारेषण का क्षेत्र (Area of Transmission)”** से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्ति में कथित क्षेत्र जिसके अन्तर्गत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को पारेषण तन्तुपथ (लाइनें) तथा पारेषण प्रणाली स्थापित, संचालन तथा संधारित किये जाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है ;
- छ) **“अंकेक्षकों (Auditors)”** से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (Transmission Licensee) के अंकेक्षक/सम्परीक्षक/लेखा-परीक्षक (auditors) तथा यदि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी कोई कम्पनी हो तो समय-समय पर यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18, वर्ष 2013) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की आवश्यकताओं के अनुसार पद धारित

करने वाले अंकेक्षक/सम्परीक्षक/लेखा-परीक्षक ;

- ज) “प्राधिकृत (Authorised)” से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति कारोबार (business) या गतिविधि/क्रियाकलाप (activity) के संबंध में अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदान की गई या अधिनियम की धारा 14 के प्रथम द्वितीय तथा पांचवें परन्तुक के अधीन प्रदत्त समझी गई या फिर अधिनियम की धारा 13 के अधीन प्रदान की गई छूट के अधीन अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत की गई ;
- झ) “बोली प्रक्रिया समन्वयक (Bid Process Co-ordinator-BPC)” से अभिप्रेत है प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण हेतु सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु बोलियां आमन्त्रित करने की प्रक्रिया से समन्वयन हेतु प्राधिकृत राज्य शासन द्वारा अधिसूचित कोई अभिकरण (agency) ;
- ञ) केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (Central Transmission Utility-CTU)” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 38(1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई शासकीय कम्पनी तथा इसे वर्तमान में अधिसूचित ‘सेन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (Central Transmission utility of India Limited-CTUIL)’ के रूप में उल्लेखित किया जाएगा ;
- ट) “आयोग (Commission)” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग;
- ठ) “कारबार का संचालन विनियम(Conduct of Business Regulations)” से अभिप्रेत है समय-समय पर यथा पुनरीक्षित एवं संशोधित प्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 ;
- ड) “समझा गया अनुज्ञप्तिधारी (Demand Licensee)” से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 14 के कतिपय प्रावधानों के अधीन विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण (Intra-State Transmission of Electricity) हेतु अनुज्ञप्तिधारी समझा गया हो ;
- ढ) “वित्तीय विवरण-पत्र (Financial Statement)” से अभिप्रेत है, वित्तीय वितरण पत्र जिसमें कोई लाभ तथा हानि लेखा (Profit and Loss Account) तुलन-पत्र (balance-sheet) तथा स्रोतों तथा निधि के अनुप्रयोग का विवरण पत्र (Statement of sources and application of funds) मय

संलग्न टिप्पणियों (notes) के तथा ऐसी अन्य विशिष्टताओं तथा विवरणों के सम्मिलित किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, कतिपय राजस्व, लागत, परिसम्पत्ति/आस्ति, देयता/देनदारी, संचिति (reserve) या प्रावधान की राशियों को दर्शाते हुए जिसे अनुज्ञप्त कारोबार (licensed business) से किसी अन्य कारोबार को या विलोमात्मक (vice versa) प्रभारित किया गया हो, मय उक्त प्रभार का आधार दर्शाते हुए या फिर जिसे आनुपातिक आधार पर या फिर अनुज्ञप्त व्यापार या किसी व्यापार के मध्य अवधारित किया गया हो या आवंटन के प्रत्येक वर्ष हेतु आनुपातिक आधार पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

वित्तीय विवरण के अन्तर्गत पृथक से उपरोक्त उल्लेखित आवश्यकताओं को अनुज्ञप्त कारोबार तथा अन्य कारोबार(ों) हेतु जहां अनुज्ञप्तिधारी को आयोग के अनुमोदनानुसार नियोजित किया गया हो पृथक-पृथक दर्शाया जाएगा।

ण) "वित्तीय वर्ष (Financial Year) या वर्ष (Year)" से अभिप्रेत है, 12 माह की अवधि जो एक अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है ;

त) "विशेष आकस्मिक परिस्थिति (Force Majeure)" इन विनियमों के प्रयोजन के लिए किसी विशेष आकस्मिक परिस्थिति से तात्पर्य घटनाओं या परिस्थितियों अथवा घटनाओं या परिस्थितियों के संयोजन से है जिनमें नीचे दर्शाई गई परिस्थितियां तथा घटनाएं शामिल हैं जो विद्युत् पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आंशिक रूप से या फिर पूर्णतया किसी परियोजना को पूंजी निवेश अनुमोदन में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने में बाधित करती हों तथा यह भी कि ऐसी परिस्थितियां तथा घटनाएं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण में न हों तथा इन्हें टाला भी न जा सकता हो, भले ही पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा युक्तियुक्त सावधानी बरती गई हो या फिर उसके द्वारा युक्तियुक्त उपयोगिता संव्यवहारों को अपनाया गया हो :

क. दैवी-घटना जिनमें शामिल हैं तड़ित, सूखा, अग्निकाण्ड तथा विस्फोट, भूकम्प, ज्वालामुखी उद्भेद, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, प्रचण्ड तूफान, भूगर्भीय विस्मयकारी घटनाएं या फिर अपवादस्वरूप विपरीत मौसमी परिस्थितियां जो पिछले सौ वर्षों के सांख्यिकी आंकड़ों से अधिक हों ; अथवा

- ख. युद्ध की कोई घटना, हमला, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु की कार्रवाई, नाकाबन्दी, नौका-अवरोध, क्रान्ति, दंगा, विद्रोह या कोई सैनिक कार्रवाई ; अथवा
- ग. व्यापक औद्योगिक हड़तालों तथा श्रमिक अशान्ति की घटनाएं जिनका भारत में व्यापक तौर पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो ; अथवा
- घ. परियोजना हेतु सांविधिक अनुमोदन में विलंब, केवल उन्हें छोड़कर जहां विलम्ब के लिए परियोजना विकासक उत्तरदायी हो ;
- थ) **“सामान्य शर्तें (General Conditions)”** से अभिप्रेत है, इन विनियमों में विहित पारेषण (Transmission) की सामान्य शर्तें ;
- द) **“ग्रिड संहिता (Grid Code)”** से अभिप्रेत है, आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 86(1)(ज) के अधीन निर्दिष्ट मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (MP Electricity Grid Code-MPEGC) तथा इसमें सम्मिलित है समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (IEGC) ;
- ध) **“नियन्त्रक कम्पनी (Holding Company)”** इन नियमों के प्रयोजन से कोई भी कम्पनी केवल किसी अन्य कम्पनी की नियन्त्रक कम्पनी (holding company) समझी जाएगी जब वह उसकी सहायक कम्पनी (subsidiary) हो जैसा कि इसे यहां परिभाषित किया गया हो/इस का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(46) में इस हेतु परिभाषित किया गया है ;
- न) **“राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली (Intra-State Transmission System)”** से अभिप्रेत है अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (Inter-State Transmission System)को छोड़कर विद्युत के पारेषण की कोई भी प्रणाली ;
- प) **“अनुज्ञप्त कारोबार (Licensed Business)”** से अभिप्रेत है, अनुज्ञप्ति के क्षेत्र (Area of Licence) में विद्युत पारेषण का कारोबार/व्यवसाय जैसा कि इसे पारेषण अनुज्ञप्ति (Transmission Licence) के अधीन प्राधिकृत किया गया हो ;
- फ) **“एमपीपीएमसीएल (MPPMCL)”** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, एक कम्पनी जिसे कम्पनी अधिनियम 1956 (वर्तमान में कम्पनी अधिनियम, 2013) के अधीन निगमित किया गया है तथा जो राज्य की तीन विद्युत वितरण कम्पनियों, यथा, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

लिमिटेड, इन्दौर तथा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर की नियन्त्रक कम्पनी (Holding Company) है ;

- ब) "मध्यप्रदेश अधिनियम (MP Act)" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) ;
- भ "निर्बाध (खुली) पहुंच (Open Access)" का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 2(47) में इसके लिये परिभाषित किया गया है ;
- म) "अन्य कारोबार/व्यवसाय (Other Business)" से अभिप्रेत है, अनुज्ञप्त कारोबार (Licenced Business) को छोड़कर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का कोई कारोबार/व्यवसाय ;
- य) "व्यक्ति (Person)" के अन्तर्गत किसी कम्पनी (Company) या निगमित निकाय (body corporate) या संस्था/संगठन (association) या व्यक्तियों के निकाय (body of individuals) को सम्मिलित किया जाएगा भले ही वह निगमित (incorporated) हो या फिर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (artificial judicial person) हो ;
- र) "अनुपालन के मापदण्ड (Standards of Performance)" से अभिप्रेत है मानक जैसा कि वे आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 86(1)(एक) के अनुसरण में विनिर्दिष्ट किये जाएं ;
- ल) "राज्य समिति(यां) {State Committee(s)}" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा गठित समिति(यां) जैसा कि भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्देशों "Encouraging Competition in Development of Transmission Projects" दिनांक 10 अगस्त, 2021 में किया गया है ;
- व) "राज्य पारेषण उपयोगिता (State Transmission Utility-STU)" से अभिप्रेत है राज्य पारेषण उपयोगिता जिसे मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिनियम की धारा 39(1) के अधीन अधिसूचित किया गया है ;
- श) "प्रदाय/आपूर्ति (Supply)" से अभिप्रेत है विद्युत प्रदाय या आपूर्ति तथा शब्द प्रदायक/आपूर्तिकर्ता का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा ;
- ष) "विद्युत-दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया दिशा-निर्देश (Tariff Based Competitive Bidding Guidelines)" से अभिप्रेत है भारत सरकार, द्वारा अधिनियम की धारा 63 के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित विलेख

'Development of Transmission Projects' के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देश ;

- स) “अन्तरण (Transfer)” में विक्रय (sale), विनियम (exchange), उपहार/ भेंट (Gift), पट्टे (Lease), अनुज्ञप्ति (licence), ऋण (loan), प्रतिभूतिकरण (scrutinization), बंधक/गिरवी (mortgage), भार (Charge), बंधक/ धरोहर (Pledge) या किसी ऋण भार (encumbrance) को अनुज्ञेय करने हेतु भरण-पोषण (subsist) या भौतिक आधिपत्य (Physical Possession) से विलग होने या अन्य किसी व्ययन (Disposition) या संब्यवहार (Dealing) को सम्मिलित किया जाएगा।
- ह) “पारेषण अनुज्ञप्ति (Transmission Licence)” से अभिप्रेत है कोई अनुज्ञप्ति (Licence) जिसे आयोग द्वारा किसी व्यक्ति/कम्पनी को अधिनियम की धारा 14 (क) के अधीन अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत निर्दिष्ट क्षेत्र में पारेषण तन्तुपथों (Transmission Lines) तथा पारेषण प्रणाली (Transmission System) को स्थापित, संचालित, तथा संधारित करने हेतु प्रदान किया जाए ;
- क्ष) “पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (Transmission Licensee)” से अभिप्रेत है कोई अनुज्ञप्तिधारी जिसे पारेषण तन्तुपथों (Transmission Lines) को स्थापित करने या संचालित करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो ;
- त्र) “पारेषण परिचालन मानक (Transmission Operating Standards)” से अभिप्रेत है राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालन से संबंधित मानक जैसा कि वे आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं ;
- ज्ञ) “पारेषण नियोजन तथा सुरक्षा मानक (Transmission Planning and Security Standards)” से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के प्रणाली नियोजन तथा सुरक्षा की पर्याप्तता से संबंधित मानक जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं ;
- कक) “प्रणाली का उपयोग (Use of System)” से अभिप्रेत है विनियम 25 में विनिर्दिष्ट अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विद्युत के पारेषण हेतु पारेषण प्रणाली का उपयोग करना ; और
- खख) “उपयोगकर्ता (Users)” से अभिप्रेत है कोई भी व्यक्ति जो पारेषण कारोबार/व्यवसाय की परिसम्पत्तियों का उपयोग करता हो जिनमें विद्युत

उत्पादन संयन्त्र (Generators), व्यापारी (Traders), वितरण अनुज्ञप्तिधारी, निर्बाध (खुली) पहुंच ग्राहक तथा उपभोक्ता सम्मिलित हैं।

अध्याय 2 : परियोजना तथा कार्यान्वयन अभिकरण का चयन (Selection of Project and Implementing Agency)

3. राज्यान्तरिक पारेषण नियोजन तथा राज्य पारेषण उपयोगिता का उत्तरदायित्व (Intra-State Transmission Planning and Responsibility of State Transmission Utility)

3.1 राज्य पारेषण उपयोगिता (STU) का समस्त संबंधित अभिकरणों के समन्वयन से राष्ट्रीय विद्युत योजना (National Electricity Plan) पर आधारित तन्त्र नियोजन (Network Planning) तथा विकास का मुख्य उत्तरदायित्व है। राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा इस प्रकार से विकसित की जाने वाली नेटवर्क योजना भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2021 को अधिसूचित तथा समय-समय पर यथासंशोधित "Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects" के अनुसार तैयार की जाएगी।

3.2 राज्य पारेषण उपयोगिता राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली से संबंधित नियोजन तथा समन्वयन से जुड़े समस्त कार्यों का निर्वहन अधिनियम की धारा 39(2) में निर्दिष्ट समस्त अभिकरणों के समन्वयन से करेगी।

3.3 राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2021 को जारी किये गये दिशा-निर्देश, यथा, "Encouraging Competition in Development of Transmission Projects" में निर्दिष्ट अनुसार "पारेषण हेतु राज्य समिति(यों) {State Committees(s) on Transmission}" का गठन किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा गठित समिति(यों) द्वारा ऐसे कार्यों का निर्वहन किया जा सकता है जैसा कि उन्हें राज्य शासन द्वारा समझौते की शर्तों (terms of reference) के अनुसार सौंपा जाए तथा उनके द्वारा पारेषण योजना (Transmission Plan) में सम्मिलित की जाने वाली परियोजनाओं का चिन्हांकन किया जा सकता है जिन्हें टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक दिशा-निर्देशों के आधार पर विकसित किया जाना अपेक्षित हो।

3.4 राज्यान्तरिक पारेषण परियोजनाएं जिनकी लागत आयोग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण

संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2024 में निर्दिष्ट की गई उच्चतम सीमा (threshold limit) से अधिक है, केवल उन्हें छोड़कर, जिन्हें राज्य शासन द्वारा छूट प्रदान की गई हो, का कार्यान्वयन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा-निर्देशों के आधार पर टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

- 3.5** एक बोली प्रक्रिया समन्वयक (Bid Process Coordinator-BPC) जैसा कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जाए प्रत्येक राज्यान्तरिक पारेषण परियोजना जिसे टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के दिशा-निर्देशों के अनुसार टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के अधीन कार्यान्वयन किया जाना है, हेतु वांछित पारेषण सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु बोली प्रक्रिया के संचालन हेतु उत्तरदायी होगा।
- 3.6** बोली प्रक्रिया समन्वयक (BPC) आयोग को बोली प्रक्रिया प्रारंभ करने के बारे में सूचित करेगा।
- 3.7** बोली प्रक्रिया समन्वयक द्वारा सम्मिलित विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle-SPV) को पारेषण सेवा प्रदायक (Transmission Service Provider-TSP) के रूप में नामांकित किया जाएगा। सफल बोली प्रस्तुतकर्ता (bidder) संविदा निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने के पश्चात् विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का अधिग्रहण करेगा।
- 3.8** पारेषण सेवा प्रदायक (Transmission Service Provider) पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा पारेषण टैरिफ को अंगीकृत करने हेतु कथित विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) की सम्पूर्ण पूंजी (equity) के अधिग्रहण की तिथि से 5(पांच) दिवस के भीतर आयोग से सम्पर्क करेगा।
- 3.9** ऐसी परियोजनाएं जिन्हें शासन द्वारा छूट प्रदान की गई है या वे परियोजनाएं जो शासन द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा से कम लागत की हों, को राज्य पारेषण उपयोगिता (STU) या समझे गये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनी या नियन्त्रित कम्पनी द्वारा विकसित किया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं के पारेषण टैरिफ का अवधारण आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन किया जाएगा।

अध्याय 3 : अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया (Procedure for Grant of Licence)

4. आयोग के समक्ष कार्रवाई (Proceedings Before the Commission)

आयोग के समक्ष समस्त कार्रवाई समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 द्वारा संचालित की जाएंगी।

5. अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु योग्यता (Eligibility for Grant of Licence)

किसी भी व्यक्ति को विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने की पात्रता न होगी जब तक :

(क) अधिनियम की धारा 63 के अधीन जारी टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से उसका चयन न किया गया हो ; या

(ख) राज्य शासन या फिर किसी नामांकित अभिकरण (designated agency) द्वारा जिसका चयन किसी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु न किया गया हो जिसकी विद्युत दर (Tariff) आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित किया जाता है :

परन्तु यह कि राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के प्रकरण में विद्युत उत्पादन कम्पनी या कोई व्यक्ति जिसके द्वारा आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (Captive Generating Plant) या कोई ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (Energy Storage System) या कोई उपभोक्ता जिसका विद्युत भार दस मेगावाट से कम हो, के लिये अधिनियम के अधीन ग्रिड से संयोजित किये जाने हेतु एक समर्पित (dedicated) पारेषण लाइन स्थापित, संचालित तथा संधारित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक न होगा यदि ऐसी कम्पनी या व्यक्ति या फिर उपभोक्ता अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विनियमों, तकनीकी मानकों, दिशा-निर्देशों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हों।

6. अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया (Procedure for Grant of Licence)

6.1 ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण के कारोबार में नियोजित किये जाने का इच्छुक हो, द्वारा आयोग को प्ररूप (अनुलग्नक-1) में अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अपना आवेदन इन विनियमों के विनियम 6.2 के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क,

अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण-द्वितीय) विनियम, 2024 की अनुसूची-1 के अन्तर्गत निर्दिष्ट ऐसे शुल्क के भुगतान का प्रलेखी साक्ष्य (documentary evidence) भी संलग्न करना होगा।

6.2 राज्यान्तरिक पारेषण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन (अनुलग्नक-1) अधिनियम तथा इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

6.3 आवेदक को आवेदन की एक प्रति आवेदन के साथ-साथ संलग्न विलेखों (documents) के, राज्य पारेषण उपयोगिता (STU) तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी (MPPMCL) को अग्रेषित करनी होगी।

6.4 राज्यान्तरिक पारेषण अनुज्ञप्ति (Intra-State Transmission License) हेतु प्रत्येक आवेदन तथा सहायक प्रलेख (supporting documents) समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 में निर्दिष्ट की गई प्रतियों की संख्या में आयोग को आवेदक या याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित सचिव को या ऐसे अधिकारी को संबोधित जैसा कि आयोग द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए, निम्न दर्शाये प्रलेखों के साथ प्रस्तुत करने होंगे :

एक. व्यवसाय योजना (Business Plan) का विवरण पत्र, मय अनुज्ञप्त व्यवसाय (Licensed business) के कार्यान्वयन में व्यय की जाने वाली पूंजी के, पूंजीगत व्यय के निधीयन हेतु जुटाये जाने वाले साधन, परिणामी दक्षता सुधार (resultant efficiency improvements) तथा ऐसे अन्य विवरण जैसा कि आयोग द्वारा चाहे जाएं ;

दो. कम्पनी जहां आवेदक निगमित निकाय (body corporate) है के संबंधित संस्था के बहिर्नियम (Memorandum of Association) तथा संस्था के अन्तर्नियम (Articles of Association) की प्रतिलिपि तथा अन्य व्यवसायिक इकाइयों के प्रकरण में निगमन (incorporation), पंजीकरण (registration) या अनुबन्ध (agreement) जैसे इसी प्रकार के प्रयोज्य प्रलेख ;

तीन. वार्षिक लेखों तथा अन्य इसी प्रकार के प्रलेख जैसा कि अपेक्षित हों की एक प्रति ;

चार. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र (affidavit) जिसमें आवेदन में प्रकट की गई जानकारी को सत्यापित किया गया हो ;

- पांच. जहां आवेदक कोई निगमित निकाय (body corporate) हो, समूह कम्पनी/कम्पनियों के विवरण जो विद्युत उत्पादन, वितरण, पारेषण या विद्युत के व्यापार में नियोजित हों, से संबंधित विवरण, भले वे मध्यप्रदेश राज्य में या अन्य किसी राज्य में अवस्थित हों ;
- छः. जहां आवेदक निगमित निकाय (body corporate) न हो, वहां विद्युत उत्पादन, वितरण, पारेषण या विद्युत के व्यापार के किसी व्यवसाय के विवरण प्रस्तुत किये जाएं जिसमें आवेदक प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इच्छुक हो भले वह मध्यप्रदेश राज्य में या अन्य किसी राज्य में अवस्थित हो ;
- सात. शुल्क के भुगतान से संबंधित अभिस्वीकृति (acknowledgement) की रसीद ; और
- आठ. इसी प्रकार के अन्य प्रलेख तथा जानकारी/सूचना, जैसा कि वे आयोग द्वारा चाहे गये हों।

6.5 आवेदन की विषय-वस्तु (Contents of Application):

उपरोक्त विनियम 6.2 में संदर्भित आवेदन निम्न विवरण सम्मिलित किये जाएंगे :

- एक. प्रस्तावित अनुज्ञप्ति का लघु शीर्षक विवरण (Short Title Descriptive), पता दर्शाते हुए आवेदक से संबंधित विवरण तथा यदि आवेदक एक कम्पनी हो तो कम्पनी के संचालकों/निदेशकों (Directors) के नाम ;
- दो. परिचालन के प्रस्तावित क्षेत्र की अवस्थिति ;
- तीन. परिचालन के प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण ;
- चार. क्षेत्र का विवरण मय किसी छावनी (cantonment) का कोई पूर्ण भाग या आंशिक भाग, हवाई अड्डा (aerodrome), किला (fortress), शस्त्रागार (arsenal), गोदी (dockyard) या कोई भवन या स्थान जो शासन के पास किसी फौजी कार्रवाई के प्रयोजन से प्रतिरक्षा (defence) के प्रयोजन से हो। यदि फौजी कार्यवाही के प्रस्तावित क्षेत्र के आधिपत्य में पूर्ण या आंशिक क्षेत्र हो तो केन्द्र सरकार के माध्यम से अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

पांच. सामान्य शर्तों के साथ-साथ विशिष्ट शर्तें भी, यदि कोई हों जिन्हें आयोग ने आवेदित प्रकार की अनुज्ञप्तियों में सम्मिलित किये जाने हेतु चाहे गये किसी विचलन हेतु निर्दिष्ट किया है ; और

छ: इस प्रकार के अन्य विवरण जैसा कि वे आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं।

6.6 आवेदन की अभिस्वीकृति (Acknowledgement of Application):

आवेदन प्राप्त होने पर, प्राप्तिकर्ता अधिकारी उस पर प्राप्त होने की तिथि अंकित करेगा तथा आवेदक इसकी अभिस्वीकृति, प्राप्ति की तिथि का स्पष्ट वर्णन प्रकट करते हुए, इसे आवेदक को प्रेषित करेगा।

6.7 सार्वजनिक निरीक्षण हेतु सहायक प्रलेखों की प्रतियां (Copies of Supporting Documents):

आवेदक द्वारा अपने स्वयं के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य किसी स्थान पर भी जैसा कि आयोग द्वारा अभिहित किया जाए, विनियम 6.4 में संदर्भित सम्पूर्ण सेट (Complete Set) की प्रतियों को सार्वजनिक निरीक्षण हेतु संधारित करना होगा तथा ऐसे व्यक्ति जो इनकी प्राप्ति हेतु आवेदन करते हों, को ऐसे मूल्य पर प्रलेखों को प्रदान करने की व्यवस्था करनी होगी जो युक्तिसंगत फोटोकॉपी प्रभारों से अधिक न होगी। आवेदक द्वारा सम्पूर्ण आवेदन को, मय संलग्नकों के अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा। आवेदन को आवेदक की वेबसाइट पर ऐसे समय तक प्रकाशित (posted) रखा जाएगा जब तक आयोग द्वारा आवेदन का निराकरण न कर दिया जाए।

6.8 अतिरिक्त जानकारी हेतु मांग करना (Calling for Additional Information) :

आयोग या सचिव या आयोग द्वारा इस प्रयोजन हेतु अभिहित किसी अधिकारी द्वारा आवेदन का सूक्ष्म परीक्षण किये जाने पर निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदक से ऐसी अतिरिक्त जानकारी या विवरण या प्रलेखों की मांग की जा सकेगी जैसा कि वह आवेदन के संव्यवहार हेतु आवश्यक समझी जाए।

6.9 आवेदन के यथोचित दाखिल किये जाने संबंधी कार्रवाई को अधिसूचित करना (Notifying the due filing of application) :

वांछित तथा आवश्यक जानकारी, विवरण तथा प्रलेखों के प्राप्त होने की पुष्टि हो जाने पर, आयोग, सचिव या इस प्रयोजन हेतु अभिहित अधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि आवेदन अधिनियम तथा इन विनियमों में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने पर विचार हेतु तैयार है तथा इसे आवेदक को सूचित करेगा।

**6.10 आवेदन तथा इसकी विषयवस्तु का विज्ञापन जारी करना
(Advertisement of Application and Contents Thereof)**

6.10.1 आवेदक द्वारा, इस आशय का आवेदन आयोग को प्रस्तुत किये जाने से सात दिवस के भीतर उसके आवेदन की सार्वजनिक सूचना, जहां परियोजना या संबंधित पारेषण तन्तुपथ (लाइन) नेटवर्क का कतिपय घटक अवस्थित हो, सार्वजनिक विज्ञापन के प्रकाशन द्वारा, जिसे कम से कम व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दो प्रमुख समाचार पत्रों में, जिनमें से प्रथम हिन्दी भाषा में तथा द्वितीय अंग्रेजी भाषा में होगा, के माध्यम से सार्वजनिक टिप्पणियां आमन्त्रित की जाएंगी। विज्ञापन में ऐसे विवरण को सम्मिलित किया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। सूचना को आवेदक की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाना जारी रखा जाएगा।

6.10.2 समाचार पत्रों में प्रकाशित आवेदन, जिसे आवेदक की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा, के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि आवेदन के बारे में सुझाव तथा आपत्तियां, यदि कोई हों, किसी भी व्यक्ति द्वारा सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिवस के भीतर दाखिल की जा सकेंगी जिसकी एक प्रति सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग को ऐसे पते पर जैसा कि इसे कारबार का संचालन विनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है, इस संबंध में जारी आदेश के माध्यम से अधिसूचित अनुसार प्रस्तुत की जा सकेगी।

6.10.3 आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया जाएगा कि आवेदन के बारे में सूचना ऐसी रीति के अनुसार जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए केन्द्र सरकार, राज्य शासन तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी, व्यक्ति या निकाय को प्रस्तुत की जाए।

6.11 आपत्तियां (Objection):

- क. कोई भी व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति प्रदान करने के बारे में आपत्ति प्रस्तुत करने का इच्छुक हो वह सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिवस या विस्तारित समयावधि के भीतर, जैसा कि आयोग द्वारा इस बारे में निर्दिष्ट किया जाए अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकेगा।
- ख. किसी भी व्यक्ति द्वारा जो अनुज्ञप्ति की शर्तों के बारे में संशोधन कराये जाने का इच्छुक हो, वह संशोधन के बारे में अभिकथन (statement) आवेदक को आयोग द्वारा अभिहित अधिकारी के समक्ष आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जारी किया जा सकेगा।

6.12 सुनवाईयां तथा स्थानीय पूछताछ (Hearings and Local Inquiries) :

- क) यदि आवेदक द्वारा आवेदन के बारे में यथोचित प्रकार से सूचना का प्रकाशन कराया गया हो तथा आपत्ति दर्ज करने का समय समाप्त हो चुका हो तो आयोग आवेदन के बारे में सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा।
- ख) आयोग आवेदक को तथा ऐसे व्यक्तियों को जिनके द्वारा आपत्तियां दाखिल की गई हों, केन्द्र सरकार, राज्य शासन तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी, व्यक्ति या निकाय को पूछताछ या सुनवाई के बारे में नोटिस जारी करेगा जैसा कि आयोग उचित समझे।
- ग) यदि कोई व्यक्ति आवेदित (applied for) अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के संबंध में आपत्ति दर्ज करता हो तो आयोग द्वारा ऐसी रीति के अनुसार जैसा कि उसके द्वारा उचित समझा जाए, स्थानीय पूछताछ आयोजित करने हेतु निमित्त की जा सकेगी।
- घ) ऐसी किसी स्थानीय पूछताछ के प्रकरण में, स्थानीय पूछताछ के निष्कर्ष का ज्ञापन-पत्र (memorandum) तैयार किया जाएगा तथा इसे आवेदक, अधिकारी या इस प्रयोजन हेतु अभिहित व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जैसा कि आयोग निर्देश दे, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

- 6.13 राज्य पारेषण उपयोगिता (STU) तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (MPPMCL) अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां/आपत्तियां/सुझाव, यदि कोई हों, तो इन्हें आयोग को तथा**

आवेदक को इसकी प्रतिलिपि के साथ आयोग द्वारा निर्देशित समयावधि के भीतर प्रेषित करेंगे।

- 6.14** आवेदक द्वारा अपनी प्रतिक्रिया, यथोचित एक शपथ पत्र के साथ, राज्य पारेषण उपयोगिता तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा की गई टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर, यदि कोई हों, जो सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में की गई हो, 7 कार्यकारी दिवस के भीतर मय राज्य पारेषण उपयोगिता/मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी तथा उक्त व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसके द्वारा आवेदक के प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां/आपत्तियां/सुझाव दाखिल किये गये हों, को अग्रिम प्रति के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा।

7. अनुज्ञप्ति प्रदान करना (Grant of Licence)

- 7.1** आयोग सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त की गई टिप्पणियों, सुझावों तथा आपत्तियों एवं राज्य पारेषण उपयोगिता / म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लि. से प्राप्त टिप्पणियां, यदि कोई हो तो, पर विचार करते हुए आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित करेगा या फिर आवेदन को निरस्त किया जाएगा जिस हेतु लिखित में कारणों को अभिलिखित किया जाएगा।
- 7.2** अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व, आयोग भी अपने प्रस्ताव के बारे में एक सूचना आयोग की वेबसाइट पर तथा व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दो समाचार पत्रों में, जैसा कि आयोग उचित समझे, उक्त व्यक्ति का नाम तथा पते का उल्लेख करते हुए जिसे वह अनुज्ञप्ति प्रदान करना प्रस्तावित करता हो, परियोजना संबंधी विवरण जिस हेतु वह अनुज्ञप्ति प्रदाय किया जाना प्रस्तावित करता हो, परियोजना की अवस्थिति या घटकों का मार्ग और अन्य कोई विवरण दर्शाते हुए जिन्हें आयोग प्रकट करना उचित समझता हो, प्रकाशित करेगा। तदनुसार, आयोग अपने प्रस्तावों के बारे में सुझाव तथा आपत्तियां सूचना के प्रकाशन से 21 दिवस के भीतर आमंत्रित करने संबंधी कार्रवाई करेगा।
- 7.3** इन विनियमों के विनियम 7.2 के अनुसार सार्वजनिक सूचना की प्रतिक्रिया में आगे प्राप्त किये गये सुझावों तथा आपत्तियों की प्रतिक्रिया में आयोग आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा या फिर आवेदन को निरस्त करेगा जिस हेतु लिखित में कारणों को अभिलेखित किया जाएगा।

- 7.4 आयोग अनुज्ञप्ति को प्रदान करने या आवेदन को निरस्त करने से पूर्व, इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन, आवेदक राज्य पारेषण उपयोगिता, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड तथा ऐसे व्यक्ति को जिसके द्वारा टिप्पणियां / आपत्तियां / सुझाव दाखिल किये गये हों, या किसी रूचि रखने वाले व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।
- 7.5 आयोग आवेदक अनुज्ञप्ति प्रदान करने संबंधी आदेश पारित होने के सात दिवस के भीतर अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि ऊर्जा विभाग, मप्र शासन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य पारेषण उपयोगिता तथा आवेदक को प्रेषित करेगा।
- 7.6 **पारेषण अनुज्ञप्ति का प्रारंभ (Commencement of Transmission Licence)**
पारेषण अनुज्ञप्ति उक्त तिथि से प्रारंभ होगी जैसा कि आयोग द्वारा इस बारे में अधिसूचित किया जाए।
- 7.7 **पारेषण अनुज्ञप्ति की वैधता (Validity of Transmission Licence)**
जब तक आयोग द्वारा प्रतिसंहरण (revoke) न किया जाए, पारेषण अनुज्ञप्ति की अवधि प्रारंभिक तिथि से पच्चीस (25) वर्ष होगी।
- 7.8 **मानचित्रों को जमा करना (Deposit of Maps)**
पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने पर, मानचित्रों के चार (4) सेट, पारेषण तन्तुपथ (लाइन) का मार्ग दर्शाते हुए मय अवस्थिति के ऐसे विवरण के साथ, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए पर सचिव या आयोग द्वारा अन्य किसी नामांकित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा दिनांक अंकित की जाएगी जो अनुज्ञप्ति प्रदान करने की अधिसूचना तिथि से सुसंगत होगी। ऐसे मानचित्रों का एक सेट आयोग के कार्यालय द्वारा धारित किया जाएगा, एक सेट को राज्य पारेषण उपयोगिता हेतु जमा किया जाएगा तथा अन्य दो सेट अनुज्ञप्तिधारी को वापस लौटा दिये जाएंगे।
- 7.9 **अनुज्ञप्ति की प्रतियों को जमा करना (Deposit of Copies of Licence)**
7.9.1 ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसे पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए, द्वारा प्रदाय तिथि से तीस (30) दिवस के भीतर :
(क) पारेषण अनुज्ञप्ति को पर्याप्त संख्या में मुद्रित करायेगा ;
(ख) मानचित्रों की पर्याप्त संख्या जिनके माध्यम से पारेषण अनुज्ञप्ति में पारेषण क्षेत्र निर्दिष्ट किया गया हो, तैयार करायेगा ;

(ग) ऐसी पारेषण अनुज्ञप्ति तथा मानचित्रों की प्रतिलिपि को प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था कार्यालयीन समय के दौरान अपने मुख्यालय स्थानीय कार्यालय में (यदि कोई हो) तथा विद्युत प्रदाय क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी कार्यालय में, जैसा कि आयोग द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए, करनी होगी।

7.9.2 प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त कथित तीस (30) दिवस की अवधि के भीतर निःशुल्क अनुज्ञप्ति की एक प्रति तथा सुसंबद्ध मानचित्र प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, जैसा कि आयोग द्वारा इस बारे में निर्दिष्ट किया जाए, प्रदान करेगा तथा पारेषण अनुज्ञप्ति (Transmission Licence) की मुद्रित प्रतियों के विक्रय हेतु ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो इस हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हों के लिये ऐसे मूल्य पर जिसकी लागत फोटोकापी प्रभारों से अधिक न होगी, हेतु भी व्यवस्था करेगा।

अध्याय 4 : सामान्य शर्तें/अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व (General Conditions/Obligations of Licencee)

8. अनुज्ञप्तिधारी के कार्य एवं कर्तव्य (Functions and Duties of Licensee)

- 8.1** अनुज्ञप्तिधारी विद्युत पारेषण उत्तरदायित्व का निर्वहन राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के माध्यम से करेगा।
- 8.2** अनुज्ञप्तिधारी निम्न संस्थाओं के साथ राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली से संबंधित नियोजन तथा समन्वयन के समस्त कार्यों का निष्पादन करेगा :
- क. राज्य पारेषण उपयोगिता (State Transmission utility);
 - ख. राज्य शासन (State Government) ;
 - ग. विद्युत उत्पादन कम्पनियां (Generating Companies)
 - झ. क्षेत्रीय विद्युत समितियां (Regional Power Committees) ;
 - ड. प्राधिकरण (Authority) ;
 - च. अन्य अनुज्ञप्तिधारी (Other Licensees) ;
 - छ. राज्य भार प्रेषण केन्द्र (State Load Dispatch Centre) ; तथा
 - ज. इस संबंध में, राज्य शासन या आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य कोई व्यक्ति।

- 8.3 अनुज्ञप्तिधारी विद्युत उत्पादन केन्द्र से भार केन्द्रों (load centres) तक विद्युत के सुगम प्रवाह हेतु राज्यान्तरिक पारेषण तन्तुपथों (लाइनों) की दक्ष, समन्वित तथा मितव्ययी प्रणाली विकसित किया जाना सुनिश्चित करेगा।
- 8.4 अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति एक दक्ष, समन्वित तथा मितव्ययी राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली का निर्माण, संधारण तथा संचालन करेगा।
- 8.5 अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार विद्युत उत्पादन व्यवस्था में नियोजित किसी अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता या व्यक्ति द्वारा उपयोग हेतु अपनी पारेषण प्रणाली में भेदभाव रहित निर्बाध (खुली) पहुंच व्यवस्था उपलब्ध करायेगा।
- 8.6 अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त कार्यों के दायित्वों का निर्वहन इन विनियमों तथा भविष्यगामी संहिताओं, आदेशों, विनियमों तथा समय-समय पर जारी होने वाले दिशा-निर्देशों में उल्लेख किये गये अनुसार करेगा।
- 8.7 अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों, यथा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति संबंधी) विनियम, 2023, CEA (Technical Standards for Connectivity to Grid) Regulations, 2007 और CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2022 के उपबन्धों का पूर्णतया अनुपालन करेगा।
9. **पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर सीमाबद्धताएं (Limitations on the Transmission Lincesees) :**
- 9.1 अनुज्ञप्तिधारी आयोग की पूर्वानुमति के बगैर :
- क) कोई भी वित्तीय संव्यवहार किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता (utility) को क्रय करने या अपने अधिकार क्षेत्र में लेने (take over) या फिर अन्यथा भी उसका अधिग्रहण करने हेतु नहीं करेगा ;
- ख) अपनी उपयोगिता का किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता के साथ संविलियन नहीं करेगा ;
- ग) किसी भी व्यक्ति को मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत का पारेषण नहीं करेगा, सिवाय इन विनियमों के अनुसरण में, अधिनियम के अधीन उत्तरदायित्वों के निर्वहन को छोड़कर, विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण के संदर्भ में ; और

- घ) किसी अनुबन्ध का निष्पादन नहीं करेगा तथा न ही किसी विद्युत उत्पादन कम्पनी या विद्युत उत्पादन केन्द्र या विद्युत वितरण कम्पनी या ट्रेडिंग कम्पनी में किसी प्रकार के हिताधिकारी लाभों (beneficial interest) का अर्जन या अन्यथा भी विद्युत व्यापार के कारोबार में स्वयं को नियोजित करेगा।
- 9.2** पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी व्यक्ति को कोई ऋण प्रदान करने या किसी व्यक्ति के उत्तरदायित्व के बारे में प्रत्याभूति (guarantee) जारी करने से पूर्व आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा सिवाय जहां ऐसा अनुज्ञप्त व्यापार (Licensed Business) के प्रयोजनों हेतु निर्मित या जारी किया जाए। कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तों के अनुसार ऋण प्रदान करना तथा कारोबार के साधारण क्रम में व्यापार अग्रिम के प्रदाय को उपरोक्त कथित अनुमोदन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 9.3** बिना आयोग के पूर्व अनुमोदन के अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय अपनी अनुज्ञप्ति या उपयोगिता या उसके किसी अंश का हस्तांतरण, विक्रय, पट्टे (लीज) या विनिमय (exchange) या अन्य प्रकार से नहीं करेगा।
- 9.4** अनुज्ञप्तिधारी अपनी पारेषण प्रणाली से, विद्युत उत्पादक को छोड़कर, आयोग का सामान्य या विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किए बिना, किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी, या व्यक्ति को जो विद्युत पारेषण हेतु आयोग द्वारा प्राधिकृत न हो, सेवाओं के नये प्रावधान प्रारंभ नहीं करेगा।
- 9.5** ऐसी परिस्थितियों में जहां किसी व्यक्ति के हितार्थ निरन्तर विद्युत प्रदाय हेतु तात्कालिक कार्यवाही आवश्यक हो, वहां अनुज्ञप्तिधारी विनियम 9.4 में वर्णित कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा बशर्ते ऐसी घटना या परिस्थिति की सूचना आयोग को 5 दिवस की अवधि के भीतर दे दी जाए।
- 9.6** पारेषण प्रणाली या अन्य कोई उपयोगी परिसम्पत्तियां/आस्तियां जो पारेषण व्यवसाय के उपयोग में आ रही हों, का हस्तांतरण किसी अन्य व्यावसायिक कार्य कलाप में आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
- 10. अनुज्ञप्तिधारी का अन्य कारोबार (Other Business of Licensee)**
- 10.1** केवल आयोग की पूर्वानुमति से ही अनुज्ञप्तिधारी परिसम्पत्तियों के आदर्श उपयोग हेतु किसी भी व्यवसाय में नियोजित हो सकेगा। ऐसी अनुमति का उद्देश्य केवल परिसम्पत्तियों में लाभकारी अभिवृद्धि करना होगा।

10.2 ऐसे कारोबार से व्युत्पन्न राजस्व के एक अनुपात को उपयोग प्रभारों का न्यून करने में किया जा सकेगा। यह अनुपात इन विनियमों के विनियम 10.3 तथा 10.4 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा :

परन्तु यह कि अनुज्ञेय राजस्व/लाभ के अनुपात को इन विनियमों को लागू किये जाने से पूर्व आयोग के आदेशों के माध्यम से पारेषण प्रभारों को घटाने हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा इसे 31.03.2026 तक जारी रखा जाएगा तथा तत्पश्चात् इसे इन विनियमों द्वारा संचालित किया जाएगा।

10.3 यदि अन्य कारोबार में कोई पूंजी निवेश सन्निहित न हो तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे कारोबार से अर्जित लाभ से अधिकतम 25% अंश, युक्तियुक्त व्ययों की पूर्ति के पश्चात्, इस आय के प्रति निगमित कर (Corporate Tax) को सम्मिलित करते हुए, उसके द्वारा उक्त कारोबार के लिए स्वयं धारित रखा जा सकता है तथा अवशेष राशि का उपयोग अपने ग्राहकों के लिए उनके पारेषण प्रभारों को घटाने हेतु किया जा सकेगा।

10.4 यदि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अन्य कारोबार के प्रयोजनों हेतु अतिरिक्त पूंजी निवेश करता हो तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीन कारोबार के लिए पारेषण परिसम्पत्तियों का उपयोग करने हेतु एक शुल्क को प्रभारित किया जा सकेगा जो शुल्क राशि के 75% से कम होगा जिसका भुगतान ऐसे नवीन कारोबार द्वारा किया जाएगा। किसी स्वतंत्र एजेन्सी/कम्पनी के माध्यम से इसी प्रकार की परिसम्पत्तियों/सेवाओं के लिये भुगतान करना होगा तथा इस प्रकार संग्रहीत किये गये शुल्क का उपयोग उसके ग्राहकों के पारेषण प्रभारों को कम करने हेतु किया जाएगा।

10.5 अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कारोबार उपक्रम पारेषण व्यवसाय द्वारा पोषित नहीं होगा तथा न ही किसी व्यवसाय की सहायता हेतु पारेषण परिसम्पत्तियों पर कोई भार सृजित करेगा।

10.6 किसी अन्य कारोबार में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई नियोजन (engagement) इन विनियमों की शर्तों के प्रतिकूल न होगा तथा इसे निम्न शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए अनुमति प्रदान की जा सकेगी :

(क) अनुज्ञप्त पारेषण कारोबार (Licensed Transmission Business) एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी सहित) की

कार्यप्रणाली में पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए और/या किसी प्रकार का विपरीतात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

- (ख) अनुज्ञप्तिधारी अन्य कारोबार की गतिविधियों के सम्बन्ध में पृथक लेखा अभिलेख (separate accounting records) तैयार कर संधारित करेगा जैसा कि ऐसी गतिविधियों हेतु संधारित किया जाना अपेक्षित हो, जैसे कि ऐसी गतिविधियां पृथक कम्पनी द्वारा निष्पादित की गयी हों, ताकि राजस्वों, लागतों, परिसम्पत्तियों, देयताओं, निधियों एवं ऐसे प्रावधान जिम्मेदारीपूर्वक अनुज्ञप्त कारोबार एवं अन्य कारोबारी गतिविधियों से पृथक से चिन्हांकित किये जा सकें;
- (ग) इस सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा निर्दिष्ट निम्न विषयक प्रसारित मार्गदर्शन शर्तों का अनुपालन करना होगा ;
- एक. अनुज्ञप्तिधारी की अन्य कारोबारी गतिविधियों में संलिप्तता ;
- दो. अनुज्ञप्त पारेषण कारोबार को अनुज्ञप्तिधारी की परिसम्पत्तियों का ऐसे व्यावसायिक कार्य में उपयोग हेतु समुचित राशि का भुगतान ; और
- (घ) अनुज्ञप्तिधारी न तो किसी अनुबन्ध का निष्पादन करेगा तथा न ही स्वयं को विद्युत व्यापार कारोबार में नियोजित करेगा।

10.7 अनुज्ञप्तिधारी अपने आधिपत्य के उपकरणों/सामग्रियों को भाड़े पर देने हेतु अधिकृत होगा। अनुज्ञप्तिधारी को पारेषण लाइनों के माध्यम से संचार चैनल स्थापित करने की भी अनुमति होगी। अनुज्ञप्तिधारी अपने आधिपत्य की अन्य परिसम्पत्तियों पर विज्ञापन किओस्क स्थापित कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी खराब/अनुपयोगी/बेकार सामग्री/उपकरणों का विक्रय या निवर्तन कर सकेगा। ऐसी गतिविधियों से प्राप्त आय वार्षिक राजस्व आवश्यकता में सम्मिलित की जा सकेगी जिसे वार्षिक आधार पर आयोग को प्रस्तुत किए जाने वाली याचिका में दाखिल करना होगा।

10.8 अनुज्ञप्तिधारी कोई ऋण देने से पूर्व किसी व्यक्ति के उत्तरदायित्वों के लिए कोई गारंटी जारी करने से पूर्व, अनुज्ञप्त पारेषण कारोबार को छोड़कर, आयोग से अनुमोदन प्राप्त करेगा। कर्मचारियों की सेवा शर्तों के अनुरूप ऋणों की सुविधा तथा प्रदायकों (suppliers) को सामान्य कारोबार के अनुसरण में अग्रिम भुगतान हेतु ऐसे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

10.9 अनुज्ञप्तिधारी अपनी किसी कम्पनी (subsidiary) या नियंत्रक कम्पनी (Holding Company) या ऐसी कम्पनी की सहायक कम्पनी को निम्न शर्तों पर अनुज्ञप्त पारेषण कारोबार में वस्तुएं (goods) या सेवाएं (services) प्रदान करने हेतु नियोजित कर सकेगा :

- क) यह कि संव्यवहार निष्पक्ष व्यवहार (Arms-Length) आधार पर होगा। मूल्य वह होगा जो परिस्थितियों के अनुरूप एवं उचित हो।
- ख) यह कि संव्यवहार की प्रक्रिया आयोग द्वारा अनुज्ञप्त पारेषण कारोबार से सम्बंधित वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रावधान के लिए संरचित विनियमों के सुसंगत होगी।
- ग) यह कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु उपरोक्त विनियम 10.9 (क) के अनुपालन की आवश्यकता के बारे में सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) से प्राप्त किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा ; और
- घ) अनुज्ञप्तिधारी प्रस्तावित व्यवस्था के लागू होने के 15 दिन पूर्व आयोग को सूचना-पत्र देगा जिसके साथ व्यवस्था से सम्बंधित समस्त सुसंगत विवरण दिये जाएंगे :

परन्तु यह कि अधिनियम की धारा 31 के अधीन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के परिचालन (operation) हेतु किसी शासकीय कम्पनी के गठन हेतु आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

10.10 सहायक कम्पनी या धारक कम्पनी या धारक कम्पनी की सहायक कम्पनी की ऐसी प्रयुक्ति के समस्त प्रकरणों में आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। जहां ऐसी अनुमति आवश्यक हो वहां अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समक्ष पूर्ण तथ्यों सहित याचिका प्रस्तुत करेगा। याचिका दाखिल करने की 30 दिवस की अवधि के भीतर आयोग याचिका के समर्थन में अन्य जानकारी मांग सकता है। ऐसी अन्य जानकारी चाहने के 30 दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जानकारी प्रस्तुत की जा रही हो या आयोग द्वारा चाही न गई हो वहां सामान्यता आवेदन प्रस्तुत करने के बाद 60 दिवस की अवधि के भीतर आवेदित व्यवस्थाओं को ऐसे अनुबंध एवं शर्तों पर ऐसे संसाधनों के साथ जो उचित समझे जाएं, आयोग स्वीकार/अस्वीकार कर सकेगा। आयोग द्वारा पारित ऐसे आदेश में निर्णय के कारण अभिलिखित किये जाएंगे।

10.11 अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व (Obligations of Licensee)

10.11.1 अनुज्ञप्तिधारी युक्तियुक्त अनुज्ञप्ति की वैधता के बारे में निम्न पहलुओं के बारे में जनोपयोगी संव्यवहारों के अनुसार पर्याप्त रूप से बीमा (insurance) बनाये रखेगा :

क) किसी भी अनुबन्ध के बारे में

ख) भारत में प्रचलित कानूनों के बारे में

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी स्व बीमा (self insurance) हेतु विकल्प दे सकेगा।

10.11.2 अनुज्ञप्तिधारी परियोजना का निर्माण समयबद्ध, दक्ष, समन्वित तथा मित्तव्ययी ढंग से करेगा।

10.11.3 अनुज्ञप्तिधारी परियोजना की स्थापना, परिचालन तथा संधारण युक्तियुक्त जनोपयोगी संव्यवहारों तथा अनुबन्धों/करारों के अनुसार करेगा ;

10.11.4 अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 32 के अधीन राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रतिपादित ऐसे दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगा जैसा कि वे परियोजना की उपलब्धता के बारे में समय-समय पर जारी किए जाएं :

परन्तु यह कि किसी अन्य कार्रवाई जैसा कि वह किसी अन्य प्रचलित विधि के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध की जाए पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयोग राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तथा अनुज्ञप्ति की सुनवाई पश्चात् सन्तुष्ट होने पर कि अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली की उपलब्धता संधारित करने में विफल रहा है, राज्य पारेषण उपयोगिता या अन्य किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे दिशा-निर्देश जारी कर सकेगा कि वह ऐसे अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली को ऐसी अवधि के लिये तथा ऐसी शर्तों पर स्वयं के नियन्त्रण में ले, जैसा कि आयोग इस बारे में निर्णय ले।

10.11.5 अनुज्ञप्तिधारी भारत में लागू समस्त कानूनों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन करेगा, विशेषकर अधिनियम, नियम तथा विनियम जिनकी संरचना अधिनियम के अनुसरण में की गई है, जैसे कि ग्रिड

संहिता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी सुसंबद्ध विनियम तथा मानक (Standards), आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश।

- 10.11.6** अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन शर्तें) (पुनरीक्षण- प्रथम) विनियम 2021 के अनुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यापारी, विद्युत उत्पादन कम्पनी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग हेतु अपनी पारेषण प्रणाली के प्रति भेद-भाव रहित/खुली पहुंच (non-discriminatory open access) उपलब्ध करायेगा।
- 10.11.7** अनुज्ञप्तिधारी जिसे इन विनियमों की शर्तों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो, द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (द्वितीय संशोधन), विनियम 2024 के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्ति शुल्क (Licence Fee) का भुगतान करना होगा।
- 10.11.8** जब कभी भी आयोग की पूर्वानुमति की आवश्यकता हो तो अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समक्ष समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 के अनुसार एक समुचित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

11. सहायतानुदान क्रियाविधि (Subsidy Mechanism)

अनुज्ञप्तिधारी बिना आयोग की पूर्व अनुमति के किसी प्रकार का सहायतानुदान (subsidy) या आर्थिक सहायता (subvention) किसी व्यक्ति को या अन्य किसी कारोबार को, या किसी प्रकार का सहायतानुदान (subvention) या आर्थिक सहायता (subvention) किसी व्यक्ति से या अनुज्ञप्तिधारी के अन्य किसी कारोबार से, केवल राज्य शासन को छोड़कर जैसा कि अधिनियम की धारा 65 में प्रावधानित है, न तो देगा और न ही लेगा।

12. अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण (Renewal of Licence)

12.1 पारेषण परियोजनाएं जिनकी विद्युत-दर (टैरिफ) आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित की जाती है हेतु पारेषण अनुज्ञप्ति (Transmission Licence) जिसे जब तक पूर्व में निरस्त न किया गया हो, का नवीनीकरण अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पच्चीस (25) वर्षों की

समयावधि समाप्त होने पर आगे पुनः एक-मुश्त पच्चीस (25) वर्षों की अवधि हेतु स्वचालित (automatically) सम्पन्न हो जाएगा :

परन्तु यह कि पारेषण परियोजनाएं जिनकी विद्युत-दर (टैरिफ) आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित की जाती है हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (Transmission Licensee) अनुज्ञप्ति के 25 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर पच्चीस (25) वर्ष से कम अवधि हेतु भी अनुज्ञप्ति के कार्यकाल के समापन से दो वर्ष पूर्व अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार आवेदन की प्रस्तुति द्वारा भी प्राप्त कर सकेगा :

परन्तु आगे यह और कि आयोग प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञप्ति की समयावधि का नवीनीकरण 25 वर्ष से कम के कार्यकाल के लिये भी कर सकेगा।

12.2 कोई भी व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 63 के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के अधीन उसके चयन पश्चात् पारेषण अनुज्ञप्ति जारी की गई हो, को पच्चीस (25) वर्षों के पश्चात् अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार अपना आवेदन अनुज्ञप्ति की प्रारंभिक अवधि के समापन से दो वर्ष पूर्व प्रस्तुत करना होगा :

परन्तु यह कि आयोग प्रकरण के गुण-दोषों के आधार पर विचारोपरान्त अनुज्ञप्ति की नवीनीकरण अवधि को घटाकर 25 वर्ष से कम अवधि के लिये भी कर सकता है :

परन्तु आगे यह और कि जहां अनुज्ञप्तिधारी से अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आयोग से सम्पर्क किये जाने की अपेक्षा की गई हो परन्तु वह 25 वर्ष की प्रारंभिक निर्धारित समयावधि पूर्व अपना आवेदन प्रस्तुत न करता हो, ऐसे में आयोग उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा की दृष्टि से या सार्वजनिक हित में भी ऐसे दिशा-निर्देश जारी कर सकता है या फिर ऐसी योजनाएं भी प्रतिपादित कर सकता है जैसा कि वह उसके उपयोगी जीवनकाल की अवशेष अवधि हेतु पारेषण परिसम्पत्तियों के संचालन हेतु उचित समझे :

परन्तु यह और भी कि अनुज्ञप्तिधारी समस्त परियोजना परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण मय उपकेन्द्र की भूमि, मार्गाधिकार (right of way) तथा

अनुमतियों (clearances) के राज्य पारेषण उपयोगिता (STU) या इसके उत्तराधिकारियों या किसी अभिकरण (agency) को किया जाना सुनिश्चित करेगा जैसा कि राज्य शासन द्वारा इस बारे में परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) से 35 वर्ष के पश्चात् शून्य लागत पर किन्हीं भारों (encumbrances) तथा देयता (liability) से मुक्त कराये जाने हेतु निर्णय लिया जाए। कथित हस्तान्तरण वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 35 वर्ष पश्चात् 90 दिवस के भीतर सुनिश्चित करना होगा जिसका अनुपालन न किये जाने पर राज्य पारेषण उपयोगिता को परियोजना परिसम्पत्तियों को स्वयं के विवेकानुसार (suo moto) अपने आधिपत्य में लेने का अधिकार होगा।

13. पारेषण विद्युत-दर (Transmission Tariff) :

- 13.1** ऐसे प्रकरण में जहां परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अनुज्ञप्तिधारी का चयन प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया हो वहां आयोग पारेषण सेवा अनुबन्ध (Transmission Service Agreement) के अनुसार पारेषण विद्युत-दर (transmission tariff) अधिनियम की धारा 63 के अधीन समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में अपनाई जा सकेगी।
- 13.2** अन्य समस्त प्रकरणों में, पारेषण विद्युत-दर (transmission tariff) का अवधारण अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा अधिसूचित समय-समय पर यथासंशोधित प्रयोज्य पारेषण विद्युत-दर विनियमों (Transmission Tariff Regulations) के अनुसार किया जा सकेगा।
- 13.3** जहां पारेषण परियोजनाओं की विद्युत-दर आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित की गई हो वहां ऐसी परियोजनाओं की विद्युत-दर अनुज्ञप्ति की 25 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के पश्चात् अनुज्ञप्ति की विस्तारित अवधि के लिये, यदि कोई हो, भी समय-समय पर यथासंशोधित प्रयोज्य पारेषण टैरिफ विनियमों के अनुसार अवधारित किया जाना जारी रखा जाएगा।
- 13.4** ऐसी पारेषण परियोजनाएं जो भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया दिशा-निर्देश

दिनांक 13.04.2006 के अधीन विकसित की गयी हैं, हेतु विद्युत-दर (टरिफ) अनुज्ञप्ति के प्रारंभिक 25 वर्षों के पश्चात् निम्नानुसार संचालित की जाएगी :

- क) जहां विद्युत-दर वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 25वें वर्ष तक के लिये उद्धरित (quote) की गई हो तथा अनुज्ञप्ति की समयावधि का विस्तार विनियम 12 के अनुसार किया गया हो, वहां विस्तारित अवधि हेतु विद्युत-दर का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर आयोग के निर्णय के अनुसार देय होगा ;
- ख) जहां विद्युत-दर वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 35वें वर्ष तक उद्धरित (quote) की गई हो तथा अनुज्ञप्ति की समयावधि का विस्तार किया गया हो वहां 26वें वर्ष से 35वें वर्ष तक की विस्तारित अवधि हेतु विद्युत-दर बोली में उद्धरित दर के आधार पर तथा आयोग द्वारा इसे अंगीकृत (adopt) किये गये अनुसार, परिचालन के तत्संबंधी वर्षों के लिये देय होगी ; और
- ग) विनियम 13.4 (क) तथा 13.4 (ख) के अधीन सम्मिलित की गई योजनाओं के बारे में 35वें वर्ष के पश्चात् विद्युत-दर का भुगतान इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन के आधार पर, जैसा आयोग द्वारा कि इस बारे में निर्णय लिया जाए, के अनुसार देय होगा ।

14. अनावश्यक वरीयता का निषेध (Prohibition of Undue Preference)

अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को अनावश्यक प्राथमिकता दर्शित नहीं करेगा:

परन्तु यह कि अनुज्ञप्ति के इन प्रावधानों एवं शर्तों में वर्णित बाध्यताओं (Obligations) का खण्डन न दर्शाते हुए जिनमें अधिनियम की धारा 37 के अधीन राज्य शासन के निर्देशों के अनुसरण में या आयोग के किसी आदेश के परिपालन में कोई अनावश्यक प्राथमिकता उत्पन्न होती हो।

15. पूंजी निवेश (Investments)

- 15.1 अनुज्ञप्तिधारी किसी मितव्ययी एवं दक्ष प्रणाली से इतर (भिन्न) ऐसा कोई पूंजी निवेश नहीं करेगा तथा इन विनियमों के साथ-साथ आयोग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंबद्ध विनियमों, मार्गदर्शी सिद्धांतों, दिशा-निर्देशों एवं आदेशों का परिपालन करेगा ।

15.2 आयोग अपने उपयोग हेतु एक 5 वर्षीय निवेश योजना जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी राष्ट्रीय विद्युत योजना से सुसंबद्ध हो अपेक्षित कर सकेगा जिसमें आयोग के अनुमोदन हेतु नियत अवधि में पूंजी निवेश योजनाओं का विवरण सम्मिलित हो। यह पूंजी निवेश योजना विनियम 19.9 में वर्णित पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) से सह संबंधित होगी। ऐसी स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह के दौरान निम्नानुसार सूचित करेगा :

- क) वार्षिक पूंजी निवेश योजना, वित्तीय वर्ष के दौरान संचालित की जाने वाली कार्य योजना का विवरण ; और
- ख) विगत वित्तीय वर्ष की वार्षिक पूंजी निवेश योजना के क्रियान्वयन में हुई प्रगति, वास्तविक क्रियान्वयन एवं आयोग द्वारा अनुमोदित 5 वर्षीय योजना के तुलनात्मक विवरण के साथ।

15.3 अनुज्ञप्तिधारी पूंजी निवेश संबंधी योजनाओं की पूर्वानुमति हेतु आयोग को प्रक्रिया के अनुसार एक आवेदन देगा जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए तथा आयोग की संतुष्टि हेतु यह दर्शाएगा कि :-

- (क) पारेषण प्रणाली जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है, में पूंजी निवेश की आवश्यकता है ; और
- (ख) अनुज्ञप्तिधारी ने समस्त व्यवहार्य विकल्पों (viable alternatives) के आर्थिक, तकनीकी, प्रणालियों तथा पर्यावरण संबंधी पहलुओं का पूंजी निवेश के प्रस्ताव या नवीन पारेषण प्रणाली की परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु ऐसी आवश्यकता की पूर्ति के संबंध में परीक्षण कर लिया गया है।

15.4 अनुज्ञप्तिधारी ऐसे पूंजी निवेश से संबंधित उपकरणों, सामग्री एवं/या सेवाओं के उपार्जन हेतु एक पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के अनुसार, निविदाएं आमंत्रित करेगा तथा उन्हें अंतिम रूप देगा।

15.5 यदि किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण वार्षिक पूंजी निवेश योजना में सम्मिलित कार्य योजनाओं के मध्य निधि का पुनरावंटन आवश्यक हो तो ऐसा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित करते हुए) द्वारा आयोग के अनुमोदन उपरान्त किया जा सकेगा। यदि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को

सम्मिलित करते हुए) को किसी ऐसी कार्य योजना में, जो वार्षिक पूंजी निवेश योजना में सम्मिलित न हो, पूंजी निवेश करना आवश्यक हो तो, आयोग के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् वह ऐसा कर सकेगा।

16. परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण (Transfer of Assets)

16.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी सहित) किसी एकल संव्यवहार में किसी भूमि, भवन या परिसम्पत्ति का हस्तान्तरण या परिचालन नियंत्रण का समर्पण विनियम 16 का परिपालन किए बिना नहीं करेगा जिसका अनुमानित पुस्तक मूल्य ऐसे प्रस्तावित निर्वहन के समय रु एक करोड़ से अधिक हो। अनुज्ञप्तिधारी परिसम्पत्तियों या उनकी लागतों का इस ढंग से विभाजन या विखण्डन नहीं करेगा जो विनियम 16 के उपबन्ध के विपरीत हो।

16.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी सहित) किसी ऐसी परिसम्पत्ति जिसका मूल्य एक करोड़ रुपये अधिक हो के हस्तांतरण या परिचालन नियंत्रण के समर्पण के आशय की पूर्व लिखित सूचना आयोग को देगा तथा समस्त सुसंबद्ध तथ्यों को प्रकट करेगा। आयोग, ऐसी सूचना प्राप्ति के 30 दिवस की अवधि के भीतर, ऐसे संव्यवहार के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी चाहेगा तथा सामान्यतः अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने के अनुक्रम में 30 दिवस की अवधि के भीतर तथ्य जहां ऐसी अतिरिक्त जानकारी आयोग द्वारा न चाही गई हो, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 60 दिवस की अवधि के भीतर हस्तांतरण व्यवस्था को ऐसे प्रावधानों एवं शर्तों पर या ऐसे संशोधनों पर जो समुचित समझे जाएं, अनुमोदित या अस्वीकार कर सकेगा। इस संबंध में आयोग द्वारा लिखित आदेश भी जारी किया जाएगा।

16.3 अनुज्ञप्तिधारी किसी परिसम्पत्ति पर जो विनियम 16.2 के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, हस्तांतरण या परिचालन नियंत्रण को समर्पित कर सकेगा, यदि :

क) आयोग लिखित में यह पुष्टि करे कि वह ऐसे हस्तांतरण या परिचालन नियंत्रण की समाप्ति से, ऐसी शर्तों पर जो आयोग द्वारा अधिरोपित की जाए सहमत हो ; या

ख) आयोग अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे हस्तांतरण या परिचालन नियंत्रण के समर्पण के संबंध में कतिपय आपत्ति को विनियम 16.2 में संदर्भित

नोटिस की अवधि में लिखित में सूचित न करे। ऐसा केवल पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रियाओं के माध्यम से ही किया जा सकेगा।

16.4 अनुज्ञप्तिधारी किसी परिसम्पत्ति का हस्तांतरण या परिचालन नियंत्रण का समर्पण कर सकेगा, जहां

क) आयोग ने निम्न विषयक सामान्य सहमति के निर्देश जारी कर दिए हों (किसी शर्त पर या उसके बिना) :

एक. विनिर्दिष्ट विवरण के संव्यवहार, एवं/या

दो. विनिर्दिष्ट विवरण की परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण या परिचालन नियंत्रण का समर्पण एवं/या

तीन. हस्तांतरण या परिचालन नियंत्रण के समर्पण की सहमति से संबंधित अन्य कोई शर्तों के अनुसार हो ;

ख) जहां प्रश्नाधीन हस्तांतरण या परिचालन नियंत्रण का समर्पण अन्य अधिनियम द्वारा या के अधीन अधिदेशित (mandated) हो ;

ग) जहां प्रश्नाधीन परिसम्पत्तियां प्राथमिक रूप से किसी अन्य कारोबार के संबंध में जिसका परिचालन विनियम 10 के अनुसरण में अधिकृत किया गया हो, केवल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अर्जित एवं उपयोग की गई थी तथा जिससे कोई विधिक या लाभकारी हित भूमि में अर्जित न हो या अन्यथा पारेषण प्रणाली का भाग न लगे या अन्यथा अनुज्ञप्त कारोबार हेतु आवश्यक परिसम्पत्ति न हो।

16.5 ऊपर जो कहा गया है उसके बावजूद, अनुज्ञप्तिधारी अपनी पूंजी निवेश की आवश्यकताओं के वित्त प्रबन्धन के साधन के रूप में जो ऋण वित्त पोषण, विक्रय एवं पट्टा (लीज) वापसी, वसूली योग्य राशियों के सूक्ष्म परीक्षण से अनुषंगिक होगी, परिसम्पत्तियों का उपयोग निम्न शर्तों पर करने हेतु पात्र होगा :

क) अनुज्ञप्तिधारी ऐसी व्यवस्था/व्यवस्थाओं के संबंध में आयोग को संबंधित व्यवस्था के प्रभावशील होने की दिनांक से 15 दिवस पूर्व अवगत कराएगा ;

ख) अनुज्ञप्तिधारी परिसम्पत्तियों को उपयोग विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत ढंग से करेगा ; तथा

ग) अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली की परिसम्पत्तियों पर परिचालन नियंत्रण रखेगा।

16.6 अनुज्ञप्तिधारी बेकार/अनुपयोगी वस्तुओं/उपकरणों का विक्रय/निवर्तन कर सकेगा।

17. समझे गये अनुज्ञप्तिधारियों हेतु प्रयोज्य उपबन्ध (Provisions Applicable to Deemed Licences)

अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय एवं पंचम परन्तुकों के अधीन इन विनियमों में विनिर्दिष्ट पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की शर्तें समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को भी प्रयोज्य होंगी।

अध्याय 5 : लेखे (Accounts)

18.1 अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त कारोबार के सम्बन्ध में तथा किसी अन्य कारोबार का :

क) लिपिबद्ध लेखा अभिलेख ऐसे प्रत्येक कारोबार के सम्बन्ध में संधारित करेगा जैसा कि उसका संचालन एक पृथक कम्पनी के रूप में हो रहा हो ताकि राजस्व, लागतें, देयताएं निधियां एवं उनके प्रावधान सम्यक रूप से अभिज्ञात हो सकें, अनुज्ञप्त कारोबार को ऐसे किसी अन्य कारोबार से जिसमें अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त हो अनुज्ञप्तिधारी के लेखा में पृथक से चिन्हांकित हो सकें; तथा

ख) लेखा, लेखा अभिलेख समुचित आधार पर तैयार करेगा तथा आयोग को उपलब्ध करायेगा :

एक. वित्तीय विवरण-पत्र (Financial Statement) ;

दो. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम छः माह के लिए एक अंतरिम लाभ-हानि विवरण-पत्र, नगद प्रवाह विवरण-पत्र एवं तुलन-पत्र (balance sheet) चाही ऐसे विवरण-पत्र एवं प्रलेख जिनकी आयोग को समय-समय पर आवश्यकता हो।

तीन. उन वित्तीय विवरण-पत्रों के सम्बन्ध में जिन्हें विनियम 18.2(ख)(एक) तथा (दो) के अनुसरण में तैयार किया गया है लेखा परीक्षकों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन जो यह दर्शाते हुए कि यह समुचित रूप से तैयार किये गये हैं तथा निम्न के बारे में यथार्थ तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं :

क) कम्पनी मामलों की स्थिति में, तुलन-पत्र के बारे में ;
तथा

ख) लाभ-हानि के लेखा के संबंध में वित्तीय वर्ष के
लाभ-हानि का विवरण

चार. प्रत्येक अंतरिम लाभ-हानि लेखा की एक प्रति, उस अवधि की जिससे वह सम्बंधित हो 45 दिवस में तथा विवरण-पत्रों की प्रतियां एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन सम्बंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह की भीतर।

18.2 सामान्यतः अनुज्ञप्तिधारी प्रभार (charge) या संविभाजन (apportionment) या आवंटन के आधार को आयोग को बिना पूर्व सूचना दिए किसी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करते समय, नहीं बदलेगा जो पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण-पत्र तैयार करते समय अपनाए गये थे। यदि राजस्व या व्यय के प्रभार या संविभाजन के आधार में परिवर्तन प्रस्तावित हो तो वह कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, इस संबंध में भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों या नियमों तथा आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शन से सुसंगत होना चाहिए।

18.3 जहां किसी वर्ष के वित्तीय विवरण-पत्रों के सम्बन्ध में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभार, संविभाजन या आवंटन के आधार गत वित्तीय वर्ष के आधारों से बदल दिए गये हों, वहां आयोग के अनुरोध पर अनुज्ञप्तिधारी उसके द्वारा अपनाए गये आधारों पर वित्तीय विवरण-पत्र तैयार करने के अतिरिक्त ऐसे आधारों पर भी वित्तीय विवरण-पत्र तैयार करेगा जो उसके द्वारा गत वर्ष में अपनाए गये थे।

18.4 वित्तीय विवरण-पत्र जो विनियम 18.1 के अधीन तैयार किए गये हों, जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा अनुमोदित या निर्देशित न हो :

क. विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक लेखों के साथ तैयार कर प्रकाशित किए जाएंगे ;

ख. अपनाई गई लेखा नीतियों का विवरण देगा ; और

ग. भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (ICAI) के सामान्य स्वीकृत मानकों के अनुसरण में तैयार किए जाएंगे।

- 18.5** इस अध्याय में लागत, देयताएं या युक्तिसंगत आरोप्य (attributable) अनुज्ञप्त कारोबार या अन्य कारोबार का संदर्भ कर प्रणाली या पंजीगत देयताओं से नहीं होगा जो मुख्यतः ऐसे कारोबार तथा हितों से संबंधित न हों।
- 18.6** अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि विनियम 18.1 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु तैयार किये गये वित्तीय विवरण—पत्र विनियम 18.1 (ख)(तीन) के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु अंकक्षण प्रतिवेदन ऐसे किसी इच्छुक व्यक्ति को ऐसे नियत मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएं जो इनकी फोटोकापी लागत से अधिक न हो।

अध्याय 6 : आयोग हेतु संसूचना का प्रावधान (Provision of Information to Commission)

- 19.1** अनुज्ञप्तिधारी समस्त सूचना/जानकारी जैसा कि वह अनुज्ञप्तिधारी को प्रयोज्य है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण निष्पादन मानक) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट प्ररूपों के अनुसार नियमित आधार पर परिचालन निष्पादन (operation performance) का अनुश्रवण करने हेतु उपलब्ध करायेगा।
- 19.2** अनुज्ञप्तिधारी बिना आवश्यक विलम्ब के आयोग को ऐसी सूचना, अभिलेख एवं विवरण उपलब्ध कराएगा जिनका संबंध अनुज्ञप्त पारेषण कारोबार (licensed transmission business) या किसी अन्य कारोबार से हो जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित समय—सीमा के भीतर वांछित हो।
- 19.3** किसी भी बड़ी घटना की स्थिति में जिससे पारेषण प्रणाली का कोई अंश प्रभावित होता हो अनुज्ञप्तिधारी आयोग तथा पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को (यदि बड़ी घटना उन्हें प्रभावित करती हो) यथाशीघ्र अवगत कराएगा। अनुज्ञप्तिधारी यथासंभव शीघ्रतम दिनांक को 15 दिवस के भीतर एवं किसी भी स्थिति में ऐसी घटना के दिनांक से दो माह की अवधि में :
- क) आयोग को समस्त विवरण एवं तथ्य देते हुए, जो घटना एवं उसके कारणों के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी को अभिज्ञात हों, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा;
- ख) यदि विनियम 19.3 (क) में वर्णित प्रतिवेदन में 15 दिवस से अधिक का समय लगने की संभावना हो तो बड़ी घटना के दिनांक से 15

दिवस की अवधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी ऐसे कारणों एवं विवरण सहित कि अनुज्ञप्तिधारी को घटना का पूर्ण प्रतिवेदन देने हेतु 15 दिन से अधिक की अवधि क्यों आवश्यक है, एक प्राथमिक प्रतिवेदन (preliminary report) प्रस्तुत करेगा ; तथा

ग) ऐसे व्यक्तियों को, जिनको आयोग निर्देशित करे, प्रतिवेदन की प्रतियां देगा।

- 19.4** बड़ी घटना के स्वरूप के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। आयोग, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देते हुए, अपने आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को यह निर्देशित कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को जिसे गंभीर चोट पहुंची हो या मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को जहां अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों या उनके अभिकर्ताओं के किसी संकार्य, चूक या उपेक्षा से बड़ी घटना घटित हुई हो, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति दी जाए।
- 19.5** आयोग, स्वविवेक से, किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति से किसी घटना या घटनाओं का प्रतिवेदन अनुज्ञप्तिधारी के व्यय पर प्रस्तुत करवा सकेगा। ऐसे व्यय, अनुज्ञप्ति के इन विनियमों के अनुसरण में तैयार समग्र राजस्वों के अवधारणा में सम्मिलित किए जाएंगे।
- 19.6** आयोग किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी से विनियम 19.3 से 19.5 तक के उपबन्धों के अनुपालन की अपेक्षा कर सकेगा, उन घटनाओं के संबंध में जिन्हें आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाए, यदि ऐसी घटनाएं बड़ी घटनाएं न हों तो अनुज्ञप्तिधारी उनके अनुपालन हेतु बाध्य होगा तथापि विनियम 19.3 में विनिर्दिष्ट समय सीमाएं उक्त दिनांक से प्रारंभ होगी जिससे आयोग अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी आवश्यकता अधिसूचित करे।
- 19.7** अनुज्ञप्तिधारी आयोग के निर्देश पर, अनुज्ञप्त पारेषण कारोबार के संवर्धन हेतु तथा पारेषण कारोबार से संबंधित अन्य विषयों पर और/या फिर कोई तकनीकी विषय जो ग्रिड सुरक्षा/नवीनीकरण एकीकरण/भार प्रवाह आदि सुनिश्चित करे जिन्हें आयोग लोकहित में या विद्युत उद्योग के हित में आवश्यक समझे, समय-समय पर अध्ययन भी करेगा।
- 19.8** अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अधीन उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित संविदा के अनुसार दायित्वों का परिपालन न किए जाने की घटना या ऐसी घटना जो

दायित्व के निर्वहन में उसके नियंत्रण के बाहर हो तथा अनुज्ञप्ति के प्रावधानों तथा शर्तों के परिपालन में बाधक, आयोग को सूचित करेगा।

- 19.9** अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी राष्ट्रीय विद्युत योजना से सुसंगत प्रति वर्ष एक अक्टूबर तक एक 5-वर्षीय पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) प्रस्तुत करेगा जो प्रतिवर्ष अद्यतन की जाएगी, जिसमें वर्षवार भार वृद्धि, वर्षवार हानि, न्यूनता, प्रस्तावित विशिष्ट कार्ययोजना सहित, पूंजी निवेश योजना, पूर्व हानियों का उपचार, दायित्वों में कमी, लागत न्यूनता योजना एवं आयोग द्वारा वांछित अन्य जानकारी, भी सम्मिलित होगी। आयोग द्वारा इस संबंध में जारी अन्य विनियमों, आदेशों या मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन पारिषण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी सहित) को भी करना होगा।
- 19.10** आयोग अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में विगत वर्ष की पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की जानकारी, साथ ही आयोग द्वारा अनुमोदित योजना के वास्तविक क्रियान्वयन की तुलनात्मक जानकारी की अपेक्षा कर सकेगा। इसके आधार पर अनुवर्ती योजनामें सुधार किये जा सकेंगे जो आयोग के अनुमान के अध्वधीन रहते हुए होंगे।

अध्याय 7 : वार्षिक शुल्क का भुगतान (Payment of Annual Fees)

10. शुल्क का भुगतान (Payment of Fees)

- 20.1** अनुज्ञप्तिधारी को समय-समय पर यथासंशोधित “मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षित-द्वितीय) विनियम, 2024” में विनिर्दिष्टानुसार प्रारंभिक अनुज्ञप्ति शुल्क (initial licensee fees) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के एक सप्ताह के भीतर करना होगा :

परन्तु यह कि आनुपातिक आधार पर वर्ष के किसी भाग हेतु गणना किये गये शुल्क को निकटम 100 (सौ) रुपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

- 20.2** प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष हेतु जब अनुज्ञप्ति प्रभावशील होती है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण-द्वितीय) विनियम, 2024 के अनुसार अग्रिम रूप से 31 मार्च तक प्रति वर्ष आयोग वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (Commission Annual Licence Fee) का भुगतान करना होगा।

20.3 यदि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त विनियम 20.1 तथा/या विनियम 20.2 के अधीन देय किसी भी शुल्क का भुगतान निर्दिष्ट तिथियों तक करने में चूक करता हो, वहां उसके विरुद्ध निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी :

- क. अनुज्ञप्तिधारी को बकाया देय राशि पर प्रचलित बैंक दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा जिसके अनुसार ब्याज राशि की गणना उस दिवस से प्रारंभ हो जाएगी जब राशि का भुगतान देय हो तथा उस दिवस तक देय होगी जब पूर्ण देय राशि का भुगतान कर दिया जाए;
- ख. अनुज्ञप्तिधारी शुल्क (fees) पूर्ण देय राशि की वसूली हेतु कार्रवाईयों के अध्यक्षीन रहते हुए होगा ; और
- ग. अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति को निरस्त किया जा सकेगा।

अध्याय 8 : अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण (Revocation of Licence)

21.1 अधिनियम की धारा 19 तथा इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए आयोग किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण की कार्यवाही को प्रारंभ कर सकेगा तथा यदि वह कार्रवाई से सन्तुष्ट हो कि ऐसी कार्रवाई लोकहित में की जाना आवश्यक है तो अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण की कार्यवाही निम्न प्रकरणों में की जा सकेगी :

- (क) जहां आयोग के मतानुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिनियम या मध्यप्रदेश अधिनियम या उनके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अनुसार उसके द्वारा निष्पादित किये जाने संबंधी कार्य में इरादतन (जानबूझकर) तथा दीर्घकालीन चूक की गई हो या फिर वह आयोग द्वारा जारी आदेशों या दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विफल रहा हो;
- (ख) जहां अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की किन्हीं भी शर्तों तथा निबन्धनों का उल्लंघन करता हो तथा इस प्रकार का उल्लंघन ऐसी अनुज्ञप्ति द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित भी हो जाता हो जिसके अनुसार वह अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण का भागी हो ;
- (ग) जहां अनुज्ञप्तिधारी नियत अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुपालन में विफल रहा हो या आयोग द्वारा अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि प्रदान करने के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार परिलक्षित न हुआ हो :

- एक. जो आयोग की तुष्टि के अनुसार यह प्रकट करे कि वह अनुज्ञप्ति के अनुसार अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों के अनुपालन में सक्षम नहीं है ; या
- दो. अनुज्ञप्तिधारी जमा की जाने वाली राशि या प्रतिभूति निक्षेप प्रस्तुत करने या शुल्क तथा अन्य वांछित प्रभारों की राशि जमा करने में विफल रहा है ;
- (घ) जहां आयोग के मतानुसार अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में तथा उसे प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन में पूर्ण रूप से तथा दक्षतापूर्वक अक्षम है ; और
- (ङ) उसके द्वारा ऐसी कोई कार्यवाई की गई है जिसके अनुसार वह अधिनियमों तथा विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार तथा अन्य कारण से भी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण का भागी है ।
- 21.2** जहां उसके मत में लोक हित में ऐसा करना आवश्यक हो तो आयोग आवेदन प्राप्त होने पर या अनुज्ञप्तिधारी की सहमति से अनुज्ञप्ति को पूर्ण रूप से या उसके वितरण क्षेत्र के किसी भाग के लिए ऐसे शर्तों पर प्रतिसंहत कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे ।
- 21.3** इस अनुज्ञप्ति की यह शर्त है कि अनुज्ञप्तिधारी समस्त विनियमों, संहिताओं, मानकों, तथा आयोग के आदेशों और दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन करेगा । जब आयोग स्पष्टतः ऐसा अभिव्यक्त करता हो कि अनुज्ञप्तिधारी से आदेश के पालन को अधिकथित (subjects) करता है तो उस आदेश के अनुपालन में असफल रहने से अनुज्ञप्ति अधिनियम (किसी अन्य लागू योग्य आधार पर इस अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत करने के आयोग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) की धारा 19 के अनुसार प्रतिसंहरण के योग्य (liable to revocation) रहेगी ।
- 21.4** जब तक आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति को निरस्त करने बाबत जांच न कर ली जाए, अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकेगा । ऐसा आयोग द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार किया जाएगा । इस हेतु अनुज्ञप्तिधारी को अपना पक्ष स्पष्ट करने हेतु तीन माह का नोटिस लिखित में जारी किया जाएगा । इस नोटिस के अन्तर्गत आयोग द्वारा कथित कार्रवाई के कारण स्पष्ट किये जाएंगे तथा नोटिस अवधि के दौरान भी प्रस्तावित प्रतिसंहरण के

विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारी को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

- 21.5** विद्युत अधिनियम की धारा 19(4) के अनुसरण में आयोग यह भी निर्देश दे सकेगा कि अनुज्ञप्ति का पूर्णतया प्रतिसंहरण न किया जाए तथा अनुज्ञप्ति के प्रावधानों के अधीन परिचालन को जारी रखा जाए जिस हेतु अतिरिक्त शर्तें तथा निबंधन अनुज्ञप्तिधारी पर अधिरोपित किये जा सकेंगे जैसा कि आयोग उचित समझे। ऐसी आगे अधिरोपित की जाने वाली निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञप्तिधारी पर बाध्यकारी होंगी तथा अनुज्ञप्तिधारी को इनका अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा तथा वे 'शक्ति (force)' तथा 'प्रभाव (effect)' के समकक्ष होंगी जैसा कि वे अनुज्ञप्तिधारी की मूल निबंधन तथा शर्तों में प्रारंभ ही से सम्मिलित थीं।
- 21.6** जब अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण हेतु आवेदन करता हो तथा आयोग इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा किया जाना सार्वजनिक हित में है तो आयोग अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण ऐसी निबंधन तथा शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकेगा।
- 21.7** आयोग अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण का नोटिस जारी करेगा तथा इस हेतु वह प्रतिसंहरण की तिथि भी निर्धारित करेगा। इसी के साथ-साथ वह यह भी निर्दिष्ट करेगा कि आगे प्रतिसंहरण की कार्रवाई के पश्चात् दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार तथा किसके द्वारा किया जाएगा।
- 21.8** यदि आयोग किसी प्रक्रम पर सन्तुष्ट हो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना का परित्याग (abandoned) कर दिया गया है जिसके अनुसार इसका निर्माण, संचालन या संधारण प्रभावित हो रहा हो तो आयोग केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (Central Transmission Utility) या अन्य कोई व्यक्ति जिसे आयोग उपयुक्त समझे, अधिनियम की धारा 20 एवं धारा 21 के अनुसार, अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण तथा अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिताओं के विक्रय तथा निहित करने (vesting) की प्रत्याशा में तत्काल परियोजना के निर्माण कार्य, संचालन या संधारण हेतु निर्देशित कर सकेगा।

अध्याय 9 : अनुज्ञप्ति की शर्तों में संशोधन (Amendment of Licence Conditions)

22. अनुज्ञप्ति की शर्तों में संशोधन (Amendment of Licence Conditions)

22.1 आयोग स्वयं की प्रेरणा से या फिर अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुज्ञप्ति की निबन्धन तथा शर्तों में ऐसे परिवर्तन तथा संशोधन कर सकेगा यदि आयोग का यह मत हो कि अन्य बातों के साथ-साथ निम्न श्रेणियों के अधीन ऐसा किया जाना लोकहित में है।

क) जहां आयोग कतिपय परिवर्तनों तथा संशोधनों के बारे में आदेश जारी करता हो जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का आवेदन सन्निहित न हो, तो आयोग इस बारे में ऐसे दो दैनिक समाचार-पत्रों में नोटिस प्रकाशित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे मय निम्नांकित विवरणों के, यथा :

एक. अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पता ;

दो. अनुज्ञप्ति में प्रस्तावित परिवर्तन तथा सुधार/संशोधन ;

तीन. ऐसे परिवर्तनों तथा सुधार/संशोधन किये जाने का आधार ;
और

चार. प्रस्ताव पर विवरण-पत्र (Statement), कथन सुझाव तथा आपत्तियां आमन्त्रित करते हुए, यदि कोई हो, आयोग के विचार हेतु जो नोटिस में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी।

ख) जहां कोई विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी जिसे प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया दिशा-निर्देशों के अधीन चयन के अनुसरण में पारिषण अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो तथा तदोपरान्त उसका चयन प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया दिशा-निर्देशों के अधीन प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त परियोजना पद्धति (Project Mode) के अधीन पारिषण घटक(ों) के क्रियान्वयन हेतु भी हो जाए तो उसे इस विनियम के अनुसार आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त ऐसे पारिषण घटक(ों) को विद्यमान अनुज्ञप्ति में जोड़ने की पात्रता होगी।

ग) जहां कोई विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी जिसे राज्य शासन या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकरण (agency) द्वारा उसे नामांकित किये जाने के आधार के अनुसरण में विनियमित विद्युत-दर क्रियाविधि (Regulated Tariff Mechanism) के अधीन पारिषण घटक(ों) के क्रियान्वयन हेतु

पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो तथा उसे आगे भी विनियमित विद्युत-दर क्रियाविधि के अधीन अतिरिक्त पारेषण घटक(ि) के क्रियान्वयन हेतु भी आगे नामांकित किया जाए तो उसे इस विनियम के अनुसार आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त अपनी विद्यमान अनुज्ञप्ति में ऐसे पारेषण घटक(ि) को जोड़ने की भी पात्रता होगी।

- 22.2** इन विनियमों के विनियम 6 में निर्दिष्ट प्रक्रिया यथोचित परिवर्तनों के साथ प्रयोज्य होगी यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति में किसी संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हो।
- 22.3** अनुज्ञप्ति शर्त में संशोधन हेतु प्रस्ताव पर सुझाव तथा आपत्तियां आमन्त्रित करते हुए आयोग आवेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका को भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
- 22.4** हितधारको (Stakeholders) से प्राप्त किये गये सुझावों तथा आपत्तियों पर विचारोपरान्त आयोग अनुज्ञप्ति में ऐसे संशोधन कार्यान्वित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

अध्याय 10 : तकनीकी शर्तें (Technical Conditions)

- 23. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ग्रिड संहिता का अनुपालन (Compliance with Grid Code by the Transmission Licensee)**
- 23.1** पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (Indian Electricity Grid Code-IEGC) तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2024 (State Grid Code) का यथोचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 23.2** आयोग युक्तियुक्त आधार पर कतिपय प्रभावित विद्युत उत्पादन कम्पनियों पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य पारेषण उपयोगिता (State Transmission Utility), राज्य भार प्रेषण केन्द्र और विद्युत व्यापारियों से परामर्श के पश्चात् ग्रिड कोड के ऐसे भागों के संबंध में उसके दायित्वों से अनुज्ञप्तिधारी को मुक्त करते हुए निर्देश जारी कर सकेगा।
- 24. पारेषण नियोजन, सुरक्षा मानक तथा पारेषण परिचालन मानक (Transmission Planning, Security Standards and Transmission Operating Standards)**

24.1 अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली का नियोजन तथा परिचालन करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पारेषण प्रणाली एक दक्ष, समन्वित तथा मितव्ययी पारेषण प्रणाली देने में समर्थ है तथा संहिताओं या विनियमों का अनुपालन करेगा जो अधिनियम की धारा 86(1)(झ) प्राधिकार द्वारा अधिनियम की धारा 73 के अधीन उपबन्धों के अंतर्गत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। विशेष रूप से, अनुज्ञप्तिधारी –

क) अपनी पारेषण प्रणाली को पारेषण प्रणाली नियोजन एवं सुरक्षा मानक एवं आयोग द्वारा अनुमोदित ग्रिड संहिता के अनुसार नियोजित एवं विकसित करेगा ; और

ख) पारेषण प्रणाली का संचालन पारेषण प्रणाली परिपालन मानकों तथा आयोग द्वारा अनुमोदित ग्रिड संहिता के अनुसार करेगा।

24.2 अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि के भीतर या इस अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात्, ऐसी अपेक्षाकृत लम्बी अवधि जैसा कि आयोग अनुमत करे, प्रदायकों, विद्युत उत्पादन कम्पनियों, राज्य पारेषण उपयोगिता एवं ऐसे किसी अन्य व्यक्ति जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के परामर्श से अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण नियोजन एवं सुरक्षा मानकों के प्रस्ताव, पारेषण परिचालन मानक जो विनियम 24 के अनुसार हों, तैयार करेगा एवं आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

24.3 पारेषण नियोजन एवं सुरक्षा मानक, पारेषण परिचालन मानक जो इन विनियमों के अनुसरण में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (माने गये अनुज्ञप्तिधारी सहित) द्वारा प्रस्तुत किए जाएं, ऐसे संशोधनों सहित जैसा कि आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दिनांक से प्रभावशील होंगे।

24.4 अनुज्ञप्तिधारी को उसके दायित्वों के नियम भंग हेतु उत्तरदायी नहीं माना जाएगा यदि वह पारेषण नियोजन एवं सुरक्षा मानकों या पारेषण परिचालन मानकों के प्रावधानों की पूर्ति में उसके नियंत्रण से परे की घटनाओं के कारण असफल रहे :

बशर्ते यह कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथासंभव सीमा तक यथास्थिति पारेषण नियोजन एवं सुरक्षा मानकों या पारेषण परिचालन मानकों के अनुपालन का समुचित प्रयास किया गया हो।

- 24.5** अनुज्ञप्तिधारी प्रदायकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को विद्युत पारेषण की युक्तियुक्त व्यवस्था करेगा :
- परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति में नियम भंग हेतु उन परिस्थितियों में आयोग द्वारा स्वीकृत कारणों से उत्तरदायी नहीं माना जाएगा जिनके परिणामस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी प्रदायकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को ऐसे पारेषण में असमर्थ रहा हो।
- 24.6** अनुज्ञप्तिधारी उपयोगकर्ताओं, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता एवं ऐसे अन्य व्यक्ति जैसा कि आयोग उचित समझे, के परामर्श से समय-समय पर इन मानकों एवं उनके क्रियान्वयन की ग्रीड संहिता तथा विनियमों में संशोधनो, भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार समीक्षा करेगा तथा आयोग को तत्काल अपनी टिप्पणियों/सुझाव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।
- 24.7** कतिपय लिखित टिप्पणियों/सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए जैसा कि इन का उल्लेख उपरोक्त विनियम 24.6 में किया गया है तथा ऐसे अग्रिम परामर्श के परिचालन में (यदि कोई हो) जैसा कि आयोग उचित समझे, आयोग अनुज्ञप्तिधारी से मानकों के पुनरीक्षण हेतु निर्देश जारी करने की पहल करेगा जैसा कि दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट किया जाए।
- 24.8** आयोग अनुज्ञप्तिधारी के इस प्रकार के कतिपय मानकों को पुनरीक्षित करने के निर्देश जारी कर सकेगा, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- 24.9** अनुज्ञप्तिधारी वार्षिक आधार पर अपनी पारेषण प्रणाली से पारेषित विद्युत का पूर्वानुमान, जो उपभोक्ताओं द्वारा पारेषण क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गये पूर्वानुमानों पर आधारित हों अनुवर्ती प्रत्येक पांच वर्षों की अवधि के लिए कराएगा।
- 24.10** प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, अनुज्ञप्तिधारी 3 माह की अवधि के भीतर पारेषण प्रणाली का पूर्व वित्तीय वर्ष में कार्य निष्पादन दर्शाते हुए एक प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, यदि आयोग द्वारा अपेक्षित हो तो अपने प्रतिवेदन की एक संक्षेपिका इस प्रकार से प्रकाशित करेगा जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए। इस प्रतिवेदन की प्रतियां ऐसे समस्त

व्यक्तियों को जो इस हेतु आवेदन दें, फोटोकॉपी कराये जाने के मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

अध्याय 11 : संयोजन एवं प्रणाली के प्रभारों का उपयोग (Connection and use of System Charges)

25. प्रणाली के उपयोग तथा प्रणालियों के संयोजन के उपयोग हेतु शर्तें प्रस्तुत करने की आवश्यकता(Requirement to offer Terms of use of System and Connection to Systems)

25.1 अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं/व्यक्तियों/प्रदायकों द्वारा इसके उपयोग हेतु व्यवस्थाएं करेगा। ऐसे उपयोगकर्ताओं या व्यक्तियों या प्रदायकों द्वारा आवेदन किए जाने पर अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपयोगकर्ताओं या व्यक्तियों या प्रदायकों को पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु अनुबन्ध/करार के निष्पादन का प्रस्ताव देगा जो ग्रिड संहिता में विनिर्दिष्ट संयोजन शर्तों के अनुसार हो। प्रणाली के उपयोग हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये प्रभारों का भुगतान करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस विनियम 25.1 में संदर्भित उपयोगकर्ताओं/व्यक्तियों/प्रदायकों से अभिप्रेत है ;

(क) ऐसे व्यक्ति जो विद्युत ऊर्जा के पारेषण हेतु अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत पारेषण तंत्र का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत हो ; और

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें आयोग द्वारा पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु प्राधिकृत किया जाए।

25.2 विनियम 25.1 के अनुसरण में, अनुज्ञप्तिधारी 'अनुबन्ध/करार प्रस्तावित करने' हेतु बाध्य नहीं होगा यदि :

(क) अधिनियम की धारा 40 के अधीन दिये गये उसके कर्तव्यों के अनुपालन का भंग होना संभावित हो।

(ख) सुरक्षा अथवा मानकों से संबंधित नियम या विनियम जो पारेषण कारोबार में प्रयुक्त होते हों, का भंग होना संभावित हो ;

(ग) जो ग्रिड संहिता के खण्डन में हो ; या

(घ) इन विनियमों के खण्डन में हों ; या

(ङ) जिन उपयोगकर्ताओं/व्यक्तियों/प्रदायकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाए वे समय-समय पर प्रभावशील ग्रिड संहिता के उक्त

उपयोगकर्ताओं/व्यक्तियों/प्रदायकों पर प्रयुक्त होने की सीमा तक, अनुपालन हेतु सहमत न हों ; या

(च) ऐसे उपयोगकर्ताओं/व्यक्तियों/प्रदायकों के प्रकरण में जो विनियम 25.1 के अधीन प्रणाली के अनुप्रयोग हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हों, वे निर्दिष्टानुसार अनाधिकृत हो जाते हैं जैसा कि इसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है।

25.3 यदि किसी अवधि के पश्चात् जो आयोग को प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त प्रतीत होती हो, जहां अनुज्ञप्तिधारी विनियम 25.1 तथा 25.2 में निर्दिष्टानुसार तथा विनियम 25.1 में अनुरोध किये गये अनुसार किन्हीं उपयोगकर्ताओं/व्यक्तियों/प्रदायकों से अनुबन्ध निष्पादन करने में विफल रहा हो वहां आयोग ऐसे उपयोगकर्ताओं/व्यक्तियों/प्रदायकों द्वारा अनुरोध किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी तथा कथित उपयोगकर्ताओं या व्यक्तियों या प्रदायकों के मध्य परियोजना के निर्माण कार्य, संचालन या संधारण हेतु निर्देशित कर सकेगा।

25.4 अनुज्ञप्तिधारी वार्षिक आधार पर अगले 5 वर्षों का, प्रत्येक वर्ष के बारे में मानक नियोजन मानदण्डों (standard planning criteria) के अनुसार सर्किट क्षमता, विद्युत प्रवाह तथा पारेषण प्रणाली पर भार के पूर्वानुमान का विवरण-पत्र तैयार करेगा तथा आयोग को प्रस्तुत करेगा और साथ ही ऐसी अन्य जानकारी जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रणाली का उपयोग करने का इच्छुक हो कि जब ऐसी प्रणाली से संयोजन तथा उपयोग किया जाए तब इसकी उपलब्ध अवसरों की पहचान तथा मूल्यांकन हेतु आवश्यकता होगी।

25.5 किसी उपयोगकर्ता या व्यक्ति या प्रदायकर्ता द्वारा जो विनियम 25.1 के अंतर्गत पारेषण प्रणाली का उपयोग करना चाहते हों, के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी ऐसे विवरण-पत्र तैयार कर अद्यतन करेगा जिसमें अद्यतन उपलब्ध आंकड़े शामिल किये जायेंगे, विशेष रूप से ऐसी सुविधा के बारे में जिसका पारेषण प्रणाली के उपयोग तथा उससे संयोजन हेतु अनुरोध किसी अन्य व्यक्ति या प्रदायक द्वारा किया गया हो।

25.6 अनुज्ञप्तिधारी किसी दिए गये/भेजे गये विवरण-पत्र का उचित मूल्य किसी उपयोगकर्ता/व्यक्ति/प्रदायक से जो प्रणाली का उपयोग करना चाहता हो, वसूल कर सकेगा।

25.7 इन विनियमों के प्रभाव से, अनुज्ञप्तिधारी ऐसी समस्त आवश्यक गतिविधियों को निष्पादित करने हेतु सक्षम होगा जो अनुज्ञप्त पारेषण कारोबार से संबन्धित, आवश्यक तथा आनुषंगिक हो। इसके लिए अनुज्ञप्त पारेषण कारोबार हेतु समुचित संचार तन्त्र (नेटवर्क) की स्थापना एवं संचालन की आवश्यकता होगी जिससे ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन किया जा सके जो दूरस्थ रिमोट मीटरिंग आदि पर आधारित हो।

अध्याय 12 : पारेषण क्रिया में निर्बाध (खुली) पहुंच (Open Access in Transmission)

26. निर्बाध (खुली) पहुंच की भूमिका (Introduction of Open Access)

26.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु बिना किसी भेदभाव के निम्न को निर्बाध (खुली) पहुंच उपलब्ध कराये –
(एक) किसी अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत उत्पादन कंपनी को पारेषण प्रभारों के भुगतान द्वारा ; अथवा
(दो) कोई उपभोक्ता, जब भी एवं जैसी भी निर्बाध (खुली) पहुंच राज्य आयोग द्वारा धारा 40 के अधीन नियत पारेषण प्रभारों एवं उन पर अधिभारों के भुगतान पर उपलब्ध कराये, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

26.2 अधिभार का उपयोग प्रति-राज्यानुदान (Cross-subsidy) के वर्तमान स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जावेगा :

परन्तु यह कि ऐसे अधिभार एवं प्रति-राज्यानुदान को उत्तरोत्तर ऐसी रीति के अनुसार कम किया जाएगा जैसा कि समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

26.3 अधिभारों के भुगतान एवं अनुप्रयोग की रीति समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। जहां किसी व्यक्ति को निर्बाध (खुली) पहुंच उपलब्ध कराई गई हो तथा जिसने आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र (Captive Generating Plant) स्वयं के उपयोग की सीमा तक स्थापित किया हो, ऐसा अधिभार अधिरोपित नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय 13 : शास्ति (Penalty)

27. अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन हेतु शास्ति (Penalty for Contravention of Conditions of Licence)

अनुज्ञप्तिधारी पर मध्यप्रदेश अधिनियम की धारा 31, 45 एवं 46 तथा इन शर्तों के अतिक्रमण तथा लगातार अनुपालन न होने की स्थिति में विद्युत अधिनियम की धारा 142 के अधीन तथा अन्य प्रयोज्य अधिनियम तथा विनियमों के अनुसार कर्तवाई की जा सकेगी। शास्ति को अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं में दावा किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

अध्याय 14 : विविध (Miscellaneous)

28. अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा निबन्धनों का अनुपालन प्राप्त करने की प्रक्रिया (Procedure for Securing Compliance of Terms and Conditions of Licence)

28.1 जहां आयोग उसके अधिपत्य में उपलब्ध सामग्री के आधार पर सन्तुष्ट हो कि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की निबंधन तथा शर्तों की अवहेलना कर रहा हो या फिर उसके द्वारा इनकी अवहेलना किये जाने की संभावना है तो वह अनुज्ञप्तिधारी को एक नोटिस जारी करेगा जिसके अन्तर्गत अनुज्ञप्ति की निबंधन तथा शर्तों की अवहेलना का उल्लेख किया जाएगा या फिर जिनकी अवहेलना किये जाने की संभावना है के बारे में उसके स्पष्टीकरण की मांग करेगा।

28.2 उसे (अनुज्ञप्तिधारी को) नोटिस की तामील इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या आयोग के ई-पोर्टल के माध्यम से, उसके सामान्य पते पर या अन्तिम ज्ञात आवासीय या कारोबारी पते पर, पंजीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट से या व्यक्तिगत रूप से किसी सन्देश-वाहक (messenger) को सम्मिलित करते हुए, के माध्यम से की जा सकती है। जहां आयोग सन्तुष्ट हो कि युक्तियुक्त रूप से उपरोक्त उल्लेखित रीतियों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस जारी करना व्यावहारिक नहीं है वहां आयोग नोटिस प्रदान करने की कार्रवाई समाचार पत्र में नोटिस का प्रकाशन द्वारा ऐसी रीति के अनुसार जैसा कि आयोग उचित समझे, कर सकता है।

28.3 आयोग, यदि उचित समझे कि मामलों को प्रभावित व्यक्तियों या वे जिनके इस प्रकार के उल्लंघन अनुसार प्रभावित होने की संभावना है, को ध्यान में लाया जाना आवश्यक है तो उसके द्वारा एक या एक से अधिक समाचार-पत्रों में, उल्लंघन की गई शर्तें तथा निबंधन या वे जिनकी

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लंघन की जाने की संभावना है, के बारे में प्रकाशन द्वारा ऐसे व्यक्तियों से सुझाव आमन्त्रित करेगा।

28.4 अनुज्ञप्ति की निबन्धन तथा शर्तों के उल्लंघन के बारे में अनुज्ञप्तिधारी या प्रभावित व्यक्तियों या फिर वे जिनके प्रभावित होने की संभावना है, द्वारा यथास्थिति विनियम 28.2 के अधीन या फिर समाचार-पत्रों में नोटिस जारी होने के प्रकरण में विनियम 28.3 के अधीन अपने सुझाव तथा आपत्तियां नोटिस की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर दाखिल किये जा सकेंगे।

28.5 आयोग प्राप्त की गई आपत्तियों तथा सुझावों पर विचारोपरांत ऐसा आदेश पारित करेगा या फिर ऐसे दिशा-निर्देश जारी करेगा जो अनुज्ञप्ति की निबन्धन तथा शर्तों में अनुपालन प्राप्त करने हेतु आवश्यक होंगे।

29. विवाद निराकरण (Dispute Resolution)

29.1 अनुज्ञप्ति की व्याख्या से जुड़े उससे उद्भूत समस्त विवाद तथा मतभेद (differences) या इनसे संबद्ध शर्तों तथा निबन्धनों का यथासंभव निराकरण परस्पर परामर्श (mutual consultation) तथा सामंजस्य से अनुबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

29.2 आयोग को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (Transmission Licensee), अन्य अनुज्ञप्तिधारियों तथा विद्युत उत्पादन कम्पनियों के मध्य उठे विवादों के निराकरण के लिये न्यायिक निर्णय लेने या फिर मध्यप्रदेश अधिनियम की धारा 39(1)(ख) के अनुसरण में ऐसे विवादों को मध्यस्थता (arbitration) हेतु भेजने का अधिकार होगा।

29.3 समस्त वाद विषय (issues) जो अनुज्ञप्ति (licence) से संबंधित इन निबन्धन तथा शर्तों की व्याख्या के बारे में उद्भूत हों, वे आयोग द्वारा अवधारण किये जाने की विषयवस्तु होंगे तथा ऐसे वाद विषयों पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा जिसका केवल अधिनियम की धारा 111 के अधीन अपील के अधिकार के अध्याधीन रहते हुए निराकरण किया जा सकेगा।

29.4 उपरोक्त विनियम 29.2 के अधीन विवादों हेतु विवाचन/मध्यस्थता (arbitration) की कार्रवाई का प्रारंभ तथा संचालन आयोग द्वारा किया जा सकेगा या फिर विवादों को आयोग द्वारा निर्दिष्ट तथा समय-समय पर पुनरीक्षित तथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का

संचालन) विनियम, 2016 के अनुसार यथास्थिति अन्य व्यक्तियों की मध्यस्थता हेतु प्रेषित किया जा सकेगा।

29.5 आयोग आदेश द्वारा, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (Transmission Licensee) को क्षतिपूर्ति की ऐसी कोई राशि जैसा कि आयोग निर्देश दे ऐसे व्यक्ति(यों) को, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के किसी कर्मचारी या एजेन्ट की कतिपय कार्रवाई के संचालन, चूक या उपेक्षा के कारण प्रभावित या पूर्वाग्रही (prejudiced) हुए हों, प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा।

30. सम्प्रेषण (Communication)

30.1 इन विनियमों के अधीन समस्त पत्र व्यवहार (सम्प्रेषण) (Communication) लिखित में किया जाएगा तथा इसे प्राप्तिकर्ता (addressee) को व्यक्तिगत या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को सौंपा जाएगा या फिर पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से उसके पंजीकृत कार्यालय के पते या फिर सामान्य (usual) आवास पर या अन्तिम ज्ञात आवासीय पते पर या प्राप्तिकर्ता के व्यावसायिक स्थल के पते पर प्रेषित किया जाएगा।

30.2 समस्त सम्प्रेषण को, प्रेषक द्वारा भेजा गया तथा प्राप्तिकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा :

क) जब इसे प्राप्तिकर्ता या उसके अधिकृत अभिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाए ; या

ख) प्राप्तिकर्ता के पते पर इसे पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सम्प्रेषण की तिथि से 15 दिवस की अवधि के समापन पर।

31. शिथिल करने संबंधी शक्ति (Power to Relax)

आयोग लिखित कारणों के अभिलेखन पश्चात् तथा ऐसी शिथिलता देने पर इससे प्रभावित होने वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत स्वप्रेरणा से या किसी प्रभावित पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर इन विनियमों से संबंधित कतिपय प्रावधानों को स्वप्रेरणा से या हित रखने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर शिथिल कर सकेगा।

32. कठिनाई दूर करने की शक्ति (Power to Remove Difficulty)

इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग आदेश द्वारा, अधिनियम अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनियमों के उपबन्धों से

अनुअसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकेगा जो इन विनियमों के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत हों।

33. निरसन एवं व्यावृत्ति (Repeal and Savings)

34.1 विनियम अर्थात् “पारेषण लायसेन्सी/डीम्ड लायसेन्सी की पारेषण अनुज्ञप्ति की शर्तें” जिन्हें राजपत्र की सूचना दिनांक 30 जुलाई, 2004 द्वारा अधिसूचित किया गया है तथा “मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया) विनियम, 2004” जैसा कि वे इस विनियम की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

34.2 ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त विनियमों के अन्तर्गत किया गया कोई कार्य, कोई कार्यवाही, बनाया गया या जारी किया गया नोटिस अथवा कोई अनुज्ञप्ति, आज्ञा प्राधिकार, छूट जो निरस्त विनियमों के अंतर्गत जारी की गई हो जहाँ तक ये इन विनियमों से असंगत न हो इन विनियमों के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा।

34.3 इन विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अर्न्तनिहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

34.4 इन विनियमों में की गई कोई भी बात आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता के मामलों में व्यवहार करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगी, जो यद्यपि यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों` परिप्रेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलेखित करते हुए आवश्यक या समीचीन समझता हो।

34.5 इन विनियमों में की गई कोई भी बात स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के अधीन किसी ऐसे मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगी, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित न की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जिन्हें आयोग उचित समझे।

34.6 इन विनियमों के लागू किये जाने से पूर्व पारेषण अनुज्ञप्ति(यों) को इन विनियमों के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा तथा वे अनुज्ञप्ति की अवशेष अवधियों हेतु निरन्तर वैध माने जाएंगे तथा इन अनुज्ञप्तियों को लागू होने की तिथि से प्रयोज्य होंगे।

टीप : मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {राज्यान्तरिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया, निबन्धन एवं शर्तें तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित करते हुए} विनियम, 2025 के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार
(डॉ. उमाकांत पांडा)
आयोग सचिव

अनुलग्नक-1 (देखें विनियम 6.2)

पारेषण अनुज्ञप्ति (Transmission Licence) प्रदाय हेतु आवेदन प्ररूप आवेदक संबंधी विवरण

1. आवेदक का पूरा नाम :
2. पता :
3. सम्पर्क व्यक्ति (contact person) का नाम, पदनाम तथा पता :
4. सम्पर्क दूरभाष संख्या :
5. फ़ैक्स संख्या :
6. ई-मेल आईडी :
7. निगमन/पंजीकरण (Incorporation/Registration) का स्थान :
8. निगमन/पंजीकरण का वर्ष :
9. भौगोलिक क्षेत्र जिसके अन्तर्गत आवेदक पारेषण गतिविधि के दायित्व के निर्वहन का इच्छुक है :
10. निम्न प्रलेख संलग्न करें :
 - क) पंजीकरण/निगमन का प्रमाण-पत्र :
 - ख) कारोबार प्रारंभ करने का प्रमाण-पत्र:
 - ग) संस्था के बहिर्नियम (Memorandum of Association) तथा संस्था के अन्तर्नियम (Articles of Association) की प्रतिलिपि :
 - घ) हस्ताक्षरकर्ता के अधिकार पत्र (Power of Attorney) की प्रतिलिपि, आवेदक या उसके प्रोत्साहक (प्रोमोटर) को प्रतिबद्ध करने हेतु :
 - ङ) आयकर पंजीकरण का विवरण :
 - च) साख निर्धारण (Credit Rating) का प्रमाण-पत्र :
 - छ) 'मानक उधार खाता ('Standard' Borrowal Account)* का प्रमाण-पत्र :
 - ज) प्रमाण-पत्र यह उल्लेख करते हुए कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवेदक को "इरादतन चूककर्ता (wilful defaulter)" घोषित नहीं किया गया है :
 - झ) प्रस्तावित पारेषण क्षेत्र का मानचित्र/विवरण :
11. निवल शुद्ध मूल्य (भारतीय रूपये के बराबर-प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रचलित विनियम दर के अनुसार परिवर्तन करें) ठीक पिछले 5 (पांच) वित्तीय वर्ष हेतु (प्रयोज्य वित्तीय वर्ष निर्दिष्ट करें)

(DD/MM/YY) से (DD/MM/YY तक	घरेलू मुद्रा में (Home Currency)	उपयोग की गई विनिमय दर (Exchange Rate)	भारतीय रूपये के बराबर मूल्य
-------------------------------	--	---	--------------------------------

उपरोक्त वर्णन के समर्थन में वार्षिक प्रतिवेदनों या प्रमाणित अंकक्षक परिणामों की प्रतियां संलग्न करें।

12. वार्षिक क्रय-विक्रय (Annual Turn Over) (भारतीयरूपये के बराबर मूल्य पर-प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रचलित विनिमय दर में परिवर्तित करें) ठीक पूर्व के 5 (पांच) वित्तीय वर्ष हेतु (प्रयोज्य वित्तीय वर्ष निर्दिष्ट करें) :

(DD/MM/YY) से (DD/MM/YY तक	घरेलू मुद्रा में (Home Currency)	उपयोग की गई विनिमय दर (Exchange Rate)	भारतीय रूपये के बराबर मूल्य

उपरोक्त जानकारी के समर्थन में वार्षिक प्रतिवेदनों या प्रमाणित अंकक्षित परिणामों की प्रतियां संलग्न करें।

13. (क) क्या आवेदक द्वारा विद्युत के प्रस्तावित पारेषण हेतु पूर्ण रूप से स्वयं के तुलन-पत्र (balance sheet) पर वित्त प्रबन्धन (financing) किया जाएगा :
- (ख) यदि हां, तो आवेदक से प्राप्त होने वाली पूंजी (equity) की राशि :
- (एक) राशि :
- (दो) प्रतिशत :
14. यदि आवेदक पूंजी (equity) हेतु किसी अन्य अभिकरण (एजेन्सी) से गठबन्धन (tie-up) किया जाना प्रस्तावित करता हो तो अभिकरण के सम्पर्क व्यक्ति (contact person) का नाम तथा पता :
- (क) अन्य अभिकरण के संदर्भ व्यक्ति का नाम पदनाम तथा पता :
- (ख) सम्पर्क दूरभाष संख्या :
- (ग) फेक्स क्रमांक :
- (घ) ई-मेल आईडी :
- (ङ) अन्य अभिकरण से प्रस्तावित पूंजी (equity)

- (एक) राशि :
- (दो) कुल पूंजी का प्रतिशत :
- (तीन) मुद्रा (Currency) जिसमें पूंजी (equity) प्रस्तावित है :
- (च) आवेदक के पूंजी सहभागिता हेतु सहयोगी होने के बारे में अन्य अभिकरण (एजेन्सी) का सहमति पत्र संलग्न करे :
- (छ) आवेदक तथा अन्य अभिकरण (एजेन्सी) के मध्य प्रस्तावित गठबन्धन का प्रकार (nature) :
15. पारेषण गतिविधि हेतु प्रस्तावित ऋण (debt) का विवरण :
- (क) ऋण प्रदाताओं (lenders) के विवरण :
- (ख) विभिन्न ऋण प्रदाताओं से स्रोत के रूप में प्राप्त होने वाली प्रस्तावित राशि :
- (ग) उपरोक्त के समर्थन में ऋण प्रदाताओं से प्रस्तावित धनराशि संबंधी पत्र संलग्न किये जाएं :
16. आवेदक की संगठनात्मक एवं प्रबन्धकीय (organizational and managerial) योग्यता : (इस संबंध में आवेदक से उनकी संगठनात्मक एवं प्रबन्धकीय सुयोग्यता (capability) का प्रमाण प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना एवं विभिन्न कार्यपालिकों (executives) के जीवनवृत्त/बायोडाटा (curriculum Vitae) रूप में, प्रस्तावित कार्यालय तथा संचार सुविधाओं आदि के रूप में किया जाए)
17. परियोजना का विवरण जिस हेतु अनुज्ञप्ति (licence) चाही गयी है

क पारेषण तन्तुपथ (Transmission Lines)

सरल क्रमांक	नाम (पारेषण घटक की अवस्थितियों का अंतिम बिन्दु)	वाल्टेज का स्तर (KV)	लम्बाई (किलोमीटर)	प्रकार (S/C) या (D/C)	तन्तुपथ (लाइन) क्षमता (MVA)	टिप्पणी

ख. उप-केन्द्र (Sub-Station)

सरल क्रमांक	नाम/अवस्थिति	वाल्टेज का स्तर (KV)	ट्रांसफार्मर (संख्या तथा MVA क्षमता)	प्रतिक्रियाशील/धारितीय क्षतिपूर्ति (उपकरण मय उसकी MVAR क्षमता के)	बे (Bays) की संख्या	टिप्पणी

- ग. क्रियाशील होने संबंधी अनुसूची (Commissioning Schedule) (पंक्तियों को आवश्यकतानुसार अन्तर्स्थापित/हटा सकते हैं)

पारेषण तन्तुपथ (Line) क्रमांक 1	
पारेषण तन्तुपथ (Line) क्रमांक 2	
उप-केन्द्र (Sub-Station) क्रमांक 1	
उप-केन्द्र (Sub-Station) क्रमांक 2	
परियोजना की सामान्य अनुसूची	

- घ. परियोजना के दीर्घकालीन पारेषण ग्राहक :
(करारों/अनुबन्धों पर चर्चा की वस्तुस्थिति पर सहमति आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाए) :
- ङ. परियोजना के अनुमोदन के बारे में शासकीय अधिसूचना :
- च. बोली प्रक्रिया समन्वयक (Bid Process Coordinator) की नियुक्ति के बारे में शासकीय अधिसूचना :
- छ. अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी :
18. परियोजना के प्रकरण में चयन यदि प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से हुआ हो तो बोली लगाये गये पारेषण प्रभार (Quoted transmission charges) :
(अनुमानित लागत के प्रकरण में बोली लगाये गये प्रभार या अनुमानित लागत, यथास्थिति, भारतीय रूपयों में दर्शाये जाने चाहिए, मय आधार माह तथा वर्ष के)
19. यदि आवेदक का चयन प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा-निर्देशों के माध्यम से हुआ हो तो निम्नलिखित प्रलेख संलग्न करें :
- क) अधिकार प्राप्त समिति का अनुमोदन (Approval of the empowered committee) :
- ख) बोली प्रक्रिया समन्वयक द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदन (यदि इसे सार्वजनिक किया गया हो)
- ग) पारेषण सेवा अनुबन्ध (Transmission Service Agreement) की प्रतिलिपि
- घ) परियोजना के अनुमोदन के बारे में जारी शासकीय अधिसूचना की प्रतिलिपि :
- ङ) बोली प्रक्रिया समन्वयक की नियुक्ति के प्रकरण में जारी शासकीय अधिसूचना की प्रतिलिपि :

दिनांक :

स्थान :

(आवेदक के हस्ताक्षर)